10

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) संबंधी चौथी प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई

दसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दसवां प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) संबंधी चौथी प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई

12.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

12.02.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फ़रवरी, 2021 / माघा, 1942 (शक)

सीआरडी संख्या 164

मूल्य: ___रुपये .

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (____) के नियम 382 के अंतर्गत _____ द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली - _____ द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2020-2021) की संरचना	.....	(ii)
प्राक्कथन	.....	(iii)
अध्याय I	प्रतिवेदन	1
अध्याय II	सिफारिशें जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है..... ..	20
अध्याय III	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे की कार्यवाही नहीं करना चाहती	51
अध्याय IV	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है	52
अध्याय V	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	62

परिशिष्ट

I.	समिति की 27.10.2020 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	63
II.	ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के **चौथी** प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विश्लेषण.....	65

ग्रामीण विकास सम्बन्धी सम्बन्धी स्थाई समिति की संरचना (2020-2021)

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री सी.एन. अन्नादुरई
4. श्री ए.के.पी चिनराज
5. श्री राजवीर दिलेर
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बी. वाई. राघवेंद्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. श्री के. सुधाकरन
20. डा. आलोक कुमार सुमन
21. श्री श्याम सिंह यादव

राज्यसभा

22. श्री मानस रंजन भुनिया
23. श्री शमशेर सिंह ढुलो
24. श्री एरन्ना कडाडी
25. डा. वान वीरॉय खारलुखी
26. श्री सुजीत कुमार
27. श्री नज़ीर अहमद लवाय
28. श्री के. पी. मुन्नुस्वामी
29. श्री नारणभाई जे राठवा
30. श्री राम शकल
31. श्री अजय प्रताप सिंह

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री डी. आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एस. चैटर्जी	-	निदेशक
3.	श्रीमती एम्मा सी. बरवा	-	अपर निदेशक
4.	श्री इनाम अहमद	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

में, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-2021) का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के चौथी प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई संबंधी यह दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ.

2. चौथा प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 03.03.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर सरकार से उत्तर 15.06.2020 को प्राप्त हो गए थे।

3. सरकार से प्राप्त की-गई-कार्यवाही उत्तरों की जांच की गई थी और समिति ने 27.10.2020 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया.

4. समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विश्लेषण **परिशिष्ट दो** में दिया गया है।

नई दिल्ली;
10 फ़रवरी, 2021
21 माघ, 1942 (Saka)

प्रताप राव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

अध्याय एक

प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों पर समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई से संबंधित है।

2. समिति के चौथे प्रतिवेदन को लोक सभा को 03 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 23 टिप्पणियाँ/सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं।

3. प्रतिवेदन में आंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्यवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं: -

(एक) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार किया है: -

क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

कुल:17

अध्याय -II

(दो) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाई नहीं करना चाहती है:-

क्रम संख्या. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय-III

(iii) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंधी में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है:-

क्रम संख्या 4, 6, 7, 8, 13, 16

कुल: 06

अध्याय -IV

(iv) टिप्पणियाँ/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:-

क्रम संख्या. शून्य

कुल: शून्य

अध्याय -V

4. समिति चाहती है कि प्रतिवेदन के अध्याय एक में दी गयी टिप्पणियों/सिफ़ारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर को प्रतिवेदन पेश करने के तीन महीनो के अंदर समिति को प्रस्तुत की जाएँ।

5. अब समिति उन कुछेक टिप्पणियों/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाई जिनकी पुनरावृति आवश्यक है या जिस पर टिप्पणी की आवश्यकता है पर चर्चा करेगी।

<u>I. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - मनरेगा के तहत नए कार्यों के कार्यशेत्र के बारे में समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - मनरेगा के अंतर्गत नए कार्यों का कार्यशेत्र के संबंध में समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> "समिति यह नोट करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित योजना है जो ग्रामीण लोगों को निरंतर आधार पर आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से स्थायी परिसंपत्ति के सृजन के माध्यम से मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करती है। समिति ने डीओआरडी के कम से कम 60% व्यय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत वार्षिक जल संरक्षण कार्यों पर सुनिश्चित करने के रवैये पर ध्यान दिया। इसी प्रकार समिति यह देखती है कि मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की परिधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जंगली जानवरों से खेती की जमीन को बचाने के लिए चारदीबारी बनाना, चेक डैम का निर्माण और भूमि-अपरदन को रोकने के लिए बचाव हेतु दीवार बनाना, खेतों को कुंटीली तार से घेरना आदि जैसे कार्यों को भी आवश्यकतानुसार कुछ क्षेत्रों में किया जा सके। अतः समिति डीओआरडी से सिफारिश करती है कि वे मनरेगा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कार्यों की सूची की समीक्षा करे और इसमें आवश्यकतानुसार नए कार्यों को शामिल कर उपयुक्त संशोधन करें।"

7. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गयी कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है कि:-

> "मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची की नियमित रूप से समीक्षा करता है और ऐसी समीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विधिवत परामर्श के बाद की जाती है। हाल ही में, नवम्बर, 2019 में सरकारी/पंचायत भवनों में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को इस योजना में शामिल किया गया है। दिनांक 27.11.2019 की अधिसूचना की प्रति निमन्वत है।"

Annexure -2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3843] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2019/अग्रहायण 6, 1941
No. 3843] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2019/AGRAHAYANA 6, 1941

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

का.आ. 4274(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में, पैरा 4 में, उप- पैरा 1 में, मद (1) में उप-मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात:-

"(i) पेयजल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, ठहराव बांध, रोक बांध और सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसी भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण तथा जल संचयन संरचनाएं."

[फा. सं. एल-12053/04/2019-आरई-I]

रोहित कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची I का पहला संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और अंतिम रुप से संशोधन सं. का.आ. 403(अ), तारीख 25 जनवरी, 2018 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2019

S.O. 4274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to Schedule I of the said Act, namely:—

2. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in the SCHEDULE I, in paragraph 4, in sub-paragraph 1, in item (I), for sub-item (i), the following sub-item shall be substituted, namely:—

"(i) Water conservation and water harvesting structures to augment and improve ground water like underground dykes, earthen dams, stop dams, check dams and **rooftop rain water harvesting structures in Government or Panchayat buildings** with special focus on recharging ground water including drinking water sources."

[F. No. L-12053/04/2019-RE-I]

ROHIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The SCHEDULE I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended *vide* notification number S.O. 323(E), dated 6th March, 2007 and last amended *vide* notification number S.O. 403(E), dated the 25th January, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

8. समिति नें नोट किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का लक्ष्य स्थायी आस्तियों के द्वारा मजदूरी रोजगार अवसर का सृजन करना है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के द्वारा प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत जल संरक्षण कार्य से यह स्पष्ट है। इस बारे में समिति ने सिफ़ारिश की थी कि मनरेगा के तहत कार्य का उपयुक्त रूप से विस्तार कर फसल के चारों तरफ बाड़ लगाने, चैक डैमो के निर्माण, भू-क्षरण को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार, कृषि क्षेत्र के चारों और काँटेदार तार लगाना आदि किया जाए। अपनी की गई कार्यवाई उत्तर में ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) ने बताया कि मंत्रालय नियमित रूप से कार्यों की अनुमत्य सूची की समीक्षा करता है और दिनांक 27.11.2019 की अधिसूचना के द्वारा अन्य कार्यों के साथ साथ चैक डैमो के निर्माण, सरकारी या पंचायत भवनों में "रूफ टॉप" जल संग्रहण ढांचों के निर्माण को भी मनरेगा के तहत अनुमत्य कार्यों में शामिल किया गया है। मनरेगा के तहत अनुमत्य कार्यों में पर्याप्त वृद्धि को नोट करते हुए समिति कर अभी भी यह मत है कि फसल के चारों और बाड़ लगाना और कृषि क्षेत्र के चारों और काँटेदार तार लगाना ताकि पशुओं से क्षति को रोका जा सके, को भी अनुमत्य कार्यों में शामिल किया जाए क्यूंकि इससे ना केवल निर्धन और सीमांत किसानो की फसल को बचाया जा सकेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। अतः समिति अपनी सिफ़ारिश को दोहराती है कि मनरेगा के तहत अनुमत्य कार्यों में वृद्धि की जाए जिससे बताए गए कार्यों को शामिल किया जा सके।

II. <u>महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी दरों में वृद्धि</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

9. महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी दरों में वृद्धि के संबंध मे समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मुख्यतः अकुशल श्रमिकों को ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जिसमें अधिकांश समय शारीरिक क्षमता और शक्ति का उपयोग होता है। ऐसे कार्यों को करना जिनकी मजदूरी राज्य के न्यूनतम मजदूरी प्रावधान के अंतर्गत दी गई न्यूनतम मजदूरी की गारंटी से भी कम हो, सर्वथा अनुचित है। समिति देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी में मौजूदा असमानता को नोट करती है जिसमें श्रमिकों को राज्य की उच्च मजदूरी की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। इसके अतिरिक्त, कृषि श्रमिकों को भी मनरेगा श्रमिकों से अधिक राशि मिलती है। समिति यह महसूस करती है कि यह कारण हो सकता है कि श्रमिक मनरेगा के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत नहीं करते और अन्य प्रकृति के कार्यों या काम करने हेतु दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। स्थिति से निपटने हेतु न केवल मजदूरी में समानता लाना आवश्यक है, बल्कि बाजार की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मनरेगा के तरत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करना भी उतना ही आवश्यक है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है कि मजदूरी में असमानता के मुद्दे को हल करे और मुद्रास्फीति के अनुरूप मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि भी करे।"

10. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है की:-

> महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) के अंतर्गत अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार दिया जाता है। यह मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग के अनुसार आजीविका के तात्कालिक विकल्प के रूप में आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
>
> महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय हर वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गाँधी नरेगा कामगारों को मुद्रास्फीति का मुआवजा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य संसूचक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर हर वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20 रुपए की वृद्धि की गई है।

11. **मनरेगा के तहत विभिन्न राज्यों में मजदूरी में असमानता पर गंभीर रुख अपनाते हुए समिति ने सिफ़ारिश की थी कि मुद्दे को सुलझाया जाए और मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि**

की जाए। ग्रामीण विकास विभाग नें अपनी की गयी कार्यवाई उत्तर में मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के सांविधिक प्रावधान का उल्लेख करते हुए बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ क्षेत्रों हेतु मनरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है । यह भी बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर में गत वर्ष कि तुलना में 20 रुपये की वृद्धि की गई है। समिति पाती है कि सरकार द्वारा सही कार्यवाई की गई है। तथापि, समिति का मत है कि 20 रुपये की वृद्धि अपर्याप्त है और इससे राज्य सरकार/कृषि मजदूरी के तहत सुनिश्चित न्यूनतम मजदूरी और मनरेगा के तहत मजदूरी के अंतर को पाटा नहीं जा सकता है। समिति का मानना है कि मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि किए जाने कि आवश्यकता है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अति आवश्यक सहायता दी जा सके। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति अपनी सिफ़ारिश को पुरजोर दोहराती है कि मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में महंगाई को देखते हुए वृद्धि कि जाए और राज्य/संघ क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरी में समानता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएँ।

III. <u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान का खराब कार्यान्वन</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 7)

12. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान का खराब कार्यान्वन के संबंध मे समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> "अनुदानों की मांगों (2020-21) के आलोक में योजना के प्रदर्शन की जांच के दौरान समिति बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के प्रावधान अनुपालन न किए जाने को लेकर चिंतित है। समिति के सामने प्रस्तुत किए गए तथ्यों से पता चला कि केवल कुछ राज्यों ने ही संचयी रूप से केवल 12,000 रूपए उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया है जो निर्धारित समय सीमा के भीतर मनरेगा के तहत नौकरी प्राप्त नहीं कर सके थे। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर सभी काम ढूँढने वालों को समय-सीमा के भीतर काम दिया भी गया अथवा नहीं। हालांकि, मामला बस यहीं तक का नहीं है, समिति जमीनी स्तर पर यह पाती है कि कई स्थानों पर मनरेगा के अंतर्गत काम देने में हुई अत्यधिक देरी एक स्वीकार्य मानदंड बन गई है। समिति को यह बताया गया है कि मनरेगा के प्रावधान के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना राज्यों की जिम्मेदारी है, हालांकि, समिति का अभी भी यही विचार है कि विभाग यह कह कर जवाबदेही से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि इस प्रावधान का अनुपालन राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए समिति ग्रामीण विकास विभाग को ऐसे तरीके खोजने व अपनाने की सिफारिश करती है जिससे मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।"

13. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है कि:-

"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : यह विभाग हर वर्ष मध्यावधि समीक्षा बैठकों और श्रम बजट बैठकों में इसके कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्तों के उपबंधों के अनुपालन के विषय में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 07.02.2020 को जारी की गई एडवाइजरी निमन्वत है।

मंत्रालय ने राज्यों द्वारा अधिसूचित बेरोजगारी भत्ता नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्तों के भुगतान की स्वतः गणना का प्रावधान किया है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग और उनके निष्पादन के अनुसार उनके परामर्श से "स्वीकृत श्रम बजट" में भी समय-समय पर संशोधन करता है, ताकि काम की मांग के अनुसार प्रत्येक मजदूर को समय पर काम दिया जा सके।"

Annexure -3

File No. J-11060/C/4/2016-RE.VI (352245)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: February 7, 2020

To
The Commissioner-Cum-Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary,
Department of Rural Development/ Panchayati Raj
(In Charge of MGNREGA),
All States

Subject: Unemployment allowances- reg.

Madam/ Sir,

As you are aware that Section 7(1), Mahatma Gandhi NREGA entitles every beneficiary for an unemployment allowance. According to the Act, *"If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with this section."*

Further, as per para 7(6), the State Governments are required to prescribe a procedure for payment of unemployment allowance. Accordingly, the State Government are required to ensure the following:

1. Specify the rate of unemployment allowance payable, which will not be less than one-fourth of the wage rate for the first thirty days and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year.
2. Frame Rules governing the procedure for payment of Unemployment Allowance.
3. Make necessary budgetary provision for payment of Unemployment Allowance.

In this regard, a detailed guideline may kindly be referred to vide Annual Master Circular 2019-20. It is reiterated that strict compliance of the provisions of the Act with respect unemployment allowance and guidelines thereof, on this specific provision must be strictly adhered to.

Any complaint, if any, on non-release of unemployment allowance must be dealt on priority.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully

(Dharmvir Jha)
Director (Mahatma Gandhi NREGA)

14. समिति यह जान कर चिंतित है कि मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान का कार्यान्वन खराब है और इसलिए समिति ने सिफ़ारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग जमीनी स्तर पर प्रावधान के पूर्ण रूप से कार्यान्वन को सुनिश्चित करे। अपने उत्तर में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि सभी राज्य/संघ क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की गई है कि प्रावधान का पालन किया जाए तथा मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ क्षेत्रों के परामर्श से "श्रम बजट में सहमति" की आवधिक समीक्षा कि जाए जिससे कि प्रत्येक मजदूर को समय से कार्य दिया जा सके। समिति ने देखा कि ग्रामीण विकास विभाग का की-गई-कार्यवाई उत्तर रोजाना दिये जाने वाले उत्तर कि तरह है जिसमे राज्य/संघ क्षेत्रों द्वारा रोजगार से वंचित मजदूर को निर्धारित समय सीमा में बेरोजगारी भत्ता देने में असफल रहने कि दशा में इसके समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं है। अतः समिति अपनी सिफ़ारिश पुरजोर दोहराती है और ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध करती है कि मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु ठोस व्यवस्था करे।

IV. <u>मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए डाक खातों का खोला जाना-</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

15. मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए डाक खातों का खोला जाने के प्रावधान का खराब कार्यान्वन के संबंध में समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> "समिति ने इस बात पर चिंता जताई कि दूर-दराज के अलग-अलग स्थानों से ग्रामीण निवासियों को मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा तक पहुँचने के लिए कभी-कभी 15-20 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मौजूदा स्थिति के विषय में जानने और व्यवहार्य विकल्प का पता लगाने के बाद, समिति की राय है कि प्रत्येक गांव में इस उद्देश्य के लिए डाकघरों का उपयोग भी किया जा सकता है। समिति को यह लगता है कि ग्रामीण विकास विभाग को मजदूरों को भुगतान करने के संबंध में अपने मौजूदा प्रोटोकॉल में संशोधन करना चाहिए और डाकघरों में खाते खोलने की व्यवहार्यता पर व्यावहारिक रूप से गौर किया जाना चाहिए। अतः समिति विभाग को एक लाभदायी समाधान निकालने हेतु व्यावहारिक और यथार्थवादी तरीके से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करती है।"

16. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है कि:-

"महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान फिलहाल बैंकों/डाकघरों में उन्हें उपलब्ध कराए गए खातों के माध्यम से किया जा रहा है। दिनांक 4 जून, 2020 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत कुल 1.15 करोड़ डाकघर खाते पंजीकृत हैं।"

17. दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीणो द्वारा मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा तक पहुँचने में 15-20 किलोमीटर की यात्रा में परेशानियों को देखते हुए समिति ने सिफ़ारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्येक क्षेत्र में डाक घरों में खाते खोलने कि संभावना का पता लगाना चाहिए ताकि बैंको तक कि लंबी यात्रा को परेशानियों से बचा जा सके। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि सभी राज्य/संघ क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कुल 1.10 करोड़ डाक घर पंजीकृत है और लाभार्थियों द्वारा बताए गए खातों में भुगतान किया जाता है। इस बारे में समिति ने ग्रामीण परिस्थिति और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मनरेगा लाभार्थियों को क्या लाभ मिल सकता है, पर ध्यान दिया। समिति अतः सिफ़ारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को अपने प्रचालनात्मक नियमो में उपयुक्त रूप से संशोधन करना चाहिए ताकि दूर दराज वाले क्षेत्रो में लाभार्थियों को नजदीकी डाकघरों में खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जा सके और वे बिना परेशानी के अपनी मजदूरी प्राप्त कर सकें।

V. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमवाई-जी) की स्थायी प्रतीक्षा-सूची को अद्यतन बनाना</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 11)

18. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमवाई-जी) की स्थायी प्रतीक्षा-सूची को अद्यतन बनाने के संबंध में समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> "पीएमएवाई-जी के अपेछित लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा प्रतिदिन और समीप आ रही है। यद्यपि,, समिति को इस बात से अवगत कराया गया है कि पीएमएवाई-जी के दायरे से जिनके नाम छूट गए थे उन लाभार्थियों को इसमें शामिल करने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है। यद्यपि,, समिति को यह बताया गया था कि ग्रामीण विकास विभाग ने छूट गए लाभार्थियों के संबंध में डेटा संकलन के लिए एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन (आवास+) विकसित किया है और शीघ्र ही इस पर एक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि समय आ गया है कि ग्रामीण विकास विभाग अपनी गति में तेजी लाए और इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करे ताकि पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाए कि छूटे हुये पात्र लाभार्थी बिना किसी देरी के उसमें शामिल हो सकें। अत: समिति, ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि वह छूट गए लाभार्थियों के संबंध में डाटा संकलन के कार्य में तेजी लाये और इसे प्राथमिकता देते हुए यह कार्य निपटाए ताकि कोई जरूरतमंद इसमें छूट न जाए।"

19. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है कि:-

> "उन परिवारों के लिए, जो यद्यपि, इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र हैं, किंतु उन्हें सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल नहीं किया जा सका, ऐसे परिवारों की पहचान करने और मोबाइल एप्लिकेशन "अवास+'' के माध्यम से उनके ब्यौरे दर्ज करने के लिए देश भर में एक अभ्यास किया गया था। देश भर से अवास+ के माध्यम से अवासॉफ्ट पर कुल 3.67 करोड़ परिवारों को अपलोड किया गया है। मंत्रालय ने "अवास+" डेटा के विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का आवंटन वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा। उनके विचार और अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।"

20. इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाइजी) के तहत अपेक्षित लक्ष्य कि प्राप्ति कि समय सीमा आ रही है तथा पीएमएवाइजी के बचे हुए लाभार्थियों का मुद्दा अभी भी सुलझाया जाना बाकी है, समिति ने ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया कि शेष लाभार्थियों को शामिल करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे। ग्रामीण विकास विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि "आवास+" मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा शेष 3.67 करोड़ लाभार्थियों कि पहचान की गई है और इस बारे में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पात्र राज्यों/संघ क्षेत्रों को लक्ष्यों के आवंटन के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा विचार तथा अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के की-गई-कार्यवाई उत्तर पर विचार करने के बाद समिति ने पाया की इस पर सही कार्यवाई की गई है और उनके प्रयास स्वीकार किए। तथापि, समिति अभी भी यह महसूस करती है की इस विषय पर अंतिम समाधान और पात्र राज्यों/संघ क्षेत्रों को लक्ष्यों के आवंटन में विलंब 2022 तक "सभी को आवास" के लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब का कारण बनेगा। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध करती है कि वो अपने प्रयासों में बिना किसी ढील के तेजी लाये तथा पात्र राज्यों/संघ क्षेत्रों को तेजी से लक्ष्यों के आवंटन के लिए स्वीकृति देने हेतु वित्त मंत्रालय को राजी करे। साथ ही "यथोचित औपचारिकताओं" को शीघ्र पूरा करने हेतु समाधान किया जाए जिससे की बड़ी संख्या में शेष लाभार्थियों को यथाशीघ्र पीएमएवाई-जी का लाभ मिल सके।

VI. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत इकाई सहायता राशि बढ़ाना</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 13)

21. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत इकाई सहायता राशि बढ़ाने के संबंध में समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> "समिति ने पाया है कि वर्तमान में, पीएमएवाई-जी के तहत प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि क्रमश: मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,12,000/- रूपए और पहाड़ी राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों के लिए 1,30,000/- रूपए है जिसमें शौचालय के लिए 12,000/- रूपए का प्रावधान किया गया है। समिति को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि को उपर्युक्त स्तर पर बने रहने देने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि काफी अधिक है जो कि लगभग 2,50,000/- रु. है। समिति का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा व्यावहारिक रूप से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए सहायता राशि में यह असमानता अव्यावहारिक लगती है। एक गांव में आवास के निर्माण के दौरान ऐसी विभिन्न चुनौतियां सामने आती हैं जिनका सामना शहरी क्षेत्रों में नहीं करना पड़ता है, लेकिन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाई सहायता राशि तय करते समय इन मापदंडों पर अकारण रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए, इस स्थिति पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार समिति ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह पीएमएवाई-जी के तहत प्रति आवासीय इकाई सहायता में इस प्रकार से वृद्धि करें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति इकाई सहायता राशि में एकरूपता आ सके।"

22. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है कि:-

"पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को पक्के आवास निर्माण के लिए मैदानी इलाकों (जो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के तहत 70,000 रुपये थी) में 1.20 लाख रुपये की बढ़ी हुई इकाई सहायता प्रदान की जाती है और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रुपये है (जो तत्कालीन इंदिरा आवास योजना के तहत 75,000 रुपये थी)। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ तालमेल के माध्यम से 90/95 श्रम दिवस की अकुशल श्रम मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन के साथ तालमेल के माध्यम से पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों द्वारा शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये स्च्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत का

प्रावधान है। फिलहाल मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत ईकाई सहायता बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के अनुसार, यदि लाभार्थी चुनता है, तो उसे वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा होगी। यद्यपि, समिति की सिफारिश पर मंत्रालय इकाई सहायता में वृद्धि के मामले की जांच कर सकता है।"

23. समिति, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत प्रति इकाई 1,20,000 रुपए और मैदानी क्षेत्रों / पहाड़ी राज्यों के लिए 1,30,000 प्रति इकाई रखने का कारण समझ पाने में असमर्थ है जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रति इकाई सहायता काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण में आने वाली बाधाओं और लागत को ध्यान में रखते हुए समिति ने ग्रामीण विकास विभाग से सिफ़ारिश की थी कि पीएमएवाई-जी के तहत सहायता में वृद्धि पर पुनः विचार करे। अपनी की गई कार्यवाई उत्तर मे ग्रामीण विकास विभाग ने पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवासों को मनरेगा के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 90/95 कार्य दिवस से जोड़ने तथा पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को शौचालय के निर्माण हेतु स्वत्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत 12,000 रुपए की सहायता के बारे में बताते हुए कहा कि वर्तमान में मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत सहायता में वृद्धि के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। इस बारे में समिति महसूस करती है की कार्यवाई उत्तर मे लाभार्थियो के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। समिति यह भी मानती है कि प्रति इकाई सहायता में वृद्धि से आवासहीन लाभार्थियों को काफी सहायता मिलेगी। अतः समिति का मत है कि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को सँभार तंत्र / लागत मे परेशानियों को देखते हुए प्रति इकाई सहायता

मे वृद्धि के मुद्दे पर पुनः विचार करे। अतः समिति अपनी सिफ़ारिश पुरजोर दोहराती है कि पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति इकाई सहायता मे वृद्धि इस प्रकार की जाए जो शहरी क्षेत्रों मे प्रति इकाई सहायता के बराबर हो।

VII. <u>निविदा संबंधी मुद्दे और खराब रख रखाव-</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 16)

24. निविदा संबंधी मुद्दे और खराब रख-रखाव के संबंध में समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> **"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** साक्ष्य के दौरान समिति का ध्यान ठेकेदारों में प्रचलित इस प्रवृत्ति की और आकृष्ट कराया गया कि ठेकेदार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की निविदा प्राप्त करने के लिए बाली प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर कम कोटेशन देते हैं। बोली में जीतने के लिए शुरू में 20 से 30 प्रतिशत या उससे अधिक कम करने का पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी पद्धतियों को दांडिक/सांविधिक उपायों द्वारा रोका जाना चाहिए समिति की राय है कि बेहद कम कोटेशन देकर संविदा प्राप्त करने की गलत मंशा और तदुपरांत लाभ प्राप्त करने के लिए कच्चे माल और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता स समझौता करना एक आपराधिक कार्य है। ऐसी प्रवृत्तियों के कारण कई स्थानों पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कें पहले सीजन के अंत तक टूटने लगती हैं। समिति की दृढ़ राय है कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ को खत्म करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को एक न्यूनतम निविदा राशि निर्धारित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए जिससे कि अविवेकी ठेकेदारों में प्रचलित इस अनुचित प्रवृत्ति को रोका जा सके। समिति का मानना है कि ऐसे सुधारात्मक उपाय करके/रणनीतियां बनाकर ठेकेदारां को भविष्य में ऐसा करने से रोका जा सकेगा और निर्मित सड़कें गुणवत्तापूर्ण और लंबे समय तक चलने वाली होंगी।"

25. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है कि:-

> **"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) :** पीआईयू स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर ठेकेदार द्वारा सड़क की खराब गुणवत्ता के निर्माण के मुद्दे से निपटने के लिए पहले से ही तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र मौजूद है। इसके अलावा ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डालने के लिए एनआरआईडीए के मानक बोली दस्तावेज में प्रावधान हैं, जो बोली दस्तावेज में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार काम पूरा नहीं करते हैं।
>
> सामान्य वित्तीय नियमों और सीवीसी दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के आधार पर मानक बोली दस्तावेज के अनुसार कार्यों को निविदा दी जाती है। राज्यों द्वारा निविदा/खरीद की प्रक्रिया की जाती है। कई राज्यों में बढ़ी हुई निष्पादन गारंटी मांगने का प्रावधान है यदि प्राप्त बोलियां एक निश्चित सीमा से नीचे होती हैं। इसके अलावा 5 साल की अवधि तक सड़क का रखरखाव करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। मंत्रालय रखरखाव कार्यों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम (ई-मार्ग) लागू कर रहा है, जिसमें सभी भुगतान इस प्रणाली के माध्यम से करने होंगे। इससे दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान रख-रखाव के कार्य में और अधिक सुधार होगा।"

26. समिति ने देखा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव तथा गुणवत्ता मे कमी और आरंभ मे 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कम बोली की व्याप्त प्रथा, ठेकेदारों और चूक करने वाले अधिकारियों मे स्पष्ट मिलीभगत दर्शाता है। इसलिए समिति ने पूर्व मे सिफ़ारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग न्यूनतम निविदा राशि निर्धारित करने की संभावना पर विचार करे। बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण सुनिश्चित करने हेतु बेईमान ठेकेदारों को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय / रणनीति अपनाए। ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी की-गई-कार्यवाई उत्तर में ढुलमुल तरीके से वर्तमान तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र और इस संबंध मे पहले से ही मौजूदा उपायों का उल्लेख किया। समिति उत्तर को अत्यधिक असंतोषजनक और निराशाजनक पाती है। समिति पाती है कि बेईमान ठेकेदारों ने अपनी

आपराधिक मंशा से कम बोली के द्वारा निविदा प्राप्त की और बाद में अत्यधिक लाभ के लिए सड़क गुणवत्ता से समझौता किया इस गंभीर मुद्दे की विभाग द्वारा गंभीरता से जांच करनी चाहिए थी। सड़कों के रख-रखाव के बारे में पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन तथा सड़कों के निम्न गुणवत्ता जो शायद बेईमान ठेकेदारों और चूक करने वाले अधिकारियों कि मिलीभगत के कारण हैं, को समिति ने उजागर किया था। इसका निर्माण की गुणवत्ता और रख-रखाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। समिति को आशा है कि ग्रामीण विकास विभाग ठोस निगरानी के लिए कड़ी व्यवस्था करेगा तथा इस प्रकार का ढुलमुल रवैया सर्वथा अनापेक्षित है। अतः समिति अपनी सिफ़ारिश पुरजोर दोहराती है कि ग्रामीण विकास विभाग निविदा प्रक्रिया से जुड़े और सड़क के खराब रख-रखाव संबंधी मुद्दों को सुलझाने हेतु सभी संभव उपाय करे।

VIII. <u>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसपी) के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन/छूट</u>

सिफारिश (क्रम संख्या 19)

27. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसपी) के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन/छूट के संबंध में समिति ने निमन्वत सिफ़ारिश की थी:-

> "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक सामाजिक सुरक्षा/सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध, विधवाओं, निशक्त व्यक्तियों और ऐसे असक्ष्य परिवारों, जिनके आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो को मिलता है। इस संदर्भ में, समिति अनुदानों की मांगों (2019-20) पर प्रतिवेदन संख्या 1 में की गई अपनी पूर्व की सिफारिश संख्या 16 की पुष्टि करती है। समिति महसूस करती है कि इसकी विभिन्न उपयोजनाओं के

अंतर्गत 200 रुपए से 500 रुपए तक वर्तमान में दी जाने वाली सहायता राशि बहुत की अपर्याप्त है। इसलिए, समिति पुन: सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए एनएसएपी के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता पर्याप्त मात्रा में यथाशीघ्र वृद्धि करे।"

28. ग्रामीण विकास विभाग ने अपने की-गई कार्यवाई संबंधी उत्तर मे कहा है कि:-

"राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) - एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंडों और सहायता की दर में परिवर्तन से संबंधित मामले पर विचार किया जा रहा है। तदनुसार, तीसरे पक्ष से व्यापक मूल्यांकन अध्ययन शुरू कराया गया है, जिसका अंतिम परिणाम प्राप्त होना है। इस योजना के लिए अंतिम कार्य योजना उक्त मूल्यांकन अध्ययन के परिणामों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर तय की जाएगी।"

29. समिति ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के महत्व तथा समाज के निर्धन व असहाय लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को नोट किया। तथापि, समिति कार्यक्रम की विभिन्न उप-स्कीमों के तहत 200-500 रुपए की अल्प-राशि पर काफी चिंतित है। राशि को बहुत कम मानते हुए समिति ने ग्रामीण विकास विभाग से सिफ़ारिश की थी कि एनएसएपी के तहत शीघ्र से शीघ्र राशि में पर्याप्त वृद्धि की जाए। ग्रामीण विकास विभाग के उत्तर से समिति ने देखा कि विभाग ने सकारात्मक रवैया अपनाया और पात्रता मानदंड मे तथा एनएसएपी के तहत सहायता दर में बदलाव तृतीय पक्ष के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। अंतिम निष्कर्ष यद्यपी मूल्यांकन अध्ययन और राज्यों के साथ चर्चा पर निर्भर है फिर भी यह सही दिशा में लिया गया कदम है। समिति ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों की सराहना करती है परंतु इस बात की भी अपेक्षा करती है कि ग्रामीण विकास विभाग अपने संकल्प पर

कायम रहेगा और सभी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करेगा ताकि कार्यक्रम के लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता शीघ्र मिले।

अध्याय दो
सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार किया है

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

ग्रामीण विकास विभाग उन प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण जनसमुदाय के विकास के आधार को बढ़ावा देना है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) इत्यादि जैसी योजनाएं ग्रामीण भारत के गरीब और दबे-कुचले लोगों के हितों की रक्षा करती हैं और सच्चे अर्थों में समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए उम्मीद की किरण हैं। समिति का यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की प्रगति सीधे ग्रामीण जनसमुदायों की प्रगति से जुड़ी है। *इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) जैसी विभिन्न योजनाओं के निष्पादन की जाँच करते समय, समिति ने देखा है कि ऐसी योजनाओं की प्रगति की रफ्तार धीमी है, जिस पर तत्काल ध्यान देकर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के दौरान वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रभावी उपाय करें।*

सरकार का उत्तर

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

i. जिन मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने में देरी हुई है, उन्हें पूरा करने की दिशा में शुरू की गई पहलें इस प्रकार हैं:

क. मकानों के निर्माण में देरी का राज्य-वार विश्लेषण और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

ख. मकानों के निर्माण में देरी के विषय में राज्य सरकार के सभी स्तरों के अधिकारियों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से नियमित रूप से एलर्ट भेजे गए।

ग. जिन मकानों के निर्माण में देरी हुई है, उनका निर्माण कार्य जून, 2020 तक पूरा करने की अनुमति दी गई।

घ. 12 माह से अधिक समय से लंबित मकानों के संबंध में निष्पादन संसूचक में नकारात्मक मार्किंग की गई।

ii. मंत्रालय भूमिहीनता के मुद्दे की निरंतर समीक्षा कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कह रहा है कि वे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का आवंटन करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्चतम स्तर पर यह मामला उठाया गया है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने भी मई, 2020 माह में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों में इस मुद्दे की समीक्षा की थी। बार-बार आग्रह किए जाने के परिणामस्वरूप बिहार, असम, झारखंड, महाराष्ट्र इत्यादि जैसे राज्यों में भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य-विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं।

iii.राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से मंत्रालय ने प्रवास/मृत्यु और अनिच्छुक लाभार्थियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

iv.माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों और उपराज्यपालों/प्रशासकों से अपने स्तर पर पीएमएवाई-जी की प्रगति की समीक्षा करने को कहा है।

v.सचिव/विशेष सचिव/उप महानिदेशक, ग्रामीण विकास के स्तर पर मासिक वीसी के माध्यम से प्रगति की समीक्षा।

v. सामने आ रहे तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों की तकनीकी टीमों के साथ उप महानिदेशक/संयुक्त सचिव के स्तर पर समीक्षा।

vi.मकानों के निर्माण कार्य का शीघ्र समापन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे:-

क. जिन मकानों के लिए लाभार्थियों को निधियों की दूसरी और तीसरी किश्त रिलीज़ की जा चुकी है, उन मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने पर ध्यान दें।

ख. मकानों के निर्माण कार्य के समापन की निगरानी के लिए माह-वार लक्ष्य तैयार करके उसकी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय को दें।

ग.कम कार्यनिष्पादन कर रहे जिलों की समीक्षा अलग से करें।

vii.ऊँचे लक्ष्यों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, कम कार्यनिष्पादन कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मकानों के निर्माण कार्य में देरी करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अलग से समीक्षा।

viii.राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की समय पर उपलब्धता और रिलीज़।

ix. निर्माण सामग्री की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण सामग्री विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता संघों का सहयोग लेना।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 संकट के समय मकान निर्माण कार्यकलापों के संबंध में एडवाइजरी जारी करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे विधिवत सावधानी और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कार्य शुरू करें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):- पीएमजीएसवाई-III को छोड़कर पीएमजीएसवाई के विभिन्न पहलों/कार्यक्षेत्रों जिन्हें हाल ही में शुरू किया गया है, उनके अंतर्गत कार्य की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है: -

पहल का नाम	स्वीकृत लंबाई	पूर्ण की गई लंबाई	शेष लंबाई
पीएमजीएसवाई-I	6,46,356	5,90,101	41,407
पीएमजीएसवाई-II	49,826	35,130	14,331
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	9,338	1,935	7,395
कुल	7,05,520	6,27,166	63,133

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि 7,05,520 किलोमीटर की कुल स्वीकृत लंबाई में सेलगभग 89% अर्थात 6,27,166 किलोमीटर सड़क की लंबाई पहले ही पूर्ण हो चुकी है। शेष 63,133 किलोमीटर के कार्य में से, पिछले दो वर्षों में 54,838 किलोमीटर सड़क की लंबाई को स्वीकृत किया गया है। यह भी उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि कुल शेष कार्यों में से 38,804 किलोमीटर

(कुल शेष लंबाई का 60% से अधिक) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हैं जहाँ कार्य का सीजन बहुत सीमित होता है और भौगोलाकृति ऐसी होती है कि निर्माण की गति मैदानी इलाकों की अपेक्षा धीमी होती है। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारणकी गति अपेक्षा के अनुसार नहीं थी। मंत्रालय लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। तथापि, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने में राज्यों द्वारा के समक्ष आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुएमंत्रालय ने इन योजनाओंपीएमजीएसवाई-I और पीएमजीएसवाई-II को मार्च, 2022 तक और आरसीपीएलडब्ल्यूई को मार्च, 2023 तक पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत नया कार्यक्रम था। इसमें आयोजना से लेकर कार्यान्वयन तक विभिन्न संबंधित पक्षों की भागीदारी तथा ग्राम पंचायतों की संचेतना और सहभागिता की आवश्यकता थी। इस मिशन का औपचारिक शुभारंभ 21 फरवरी, 2016 को हुआ था। अतः, पहला वर्ष तो मिशन की नीति के निरुपण और क्लस्टरों के निर्धारण में गुजर गया। मिशन के कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर की समेकित क्लस्टर कार्य

योजना (आईसीएपी) तैयार करने का गहन कार्य करने की आवश्यकता थी, जिसमें विभिन्न क्लस्टरों के लिए राज्यों को सामान्यतः 4-8 महीनों का समय लगा और उसके बाद कार्यान्वयन शुरू करने से पहले प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार और अनुमोदित की गईं। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन शुरू करने से पहले इस कार्य में भी लगभग 4-6 महीनों का समय लगा। अतः, प्रत्येक क्लस्टर में आयोजना और कार्यकलाप शुरू करने में लगभग एक (1) वर्ष का समय लगा, जिसके परिणामस्वरूप शुरुआत में प्रगति धीमी रही। चूँकि 242 क्लस्टरों की डीपीआर के अनुमोदन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रगति की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि जिन 288 क्लस्टरों की आईसीएपी वित्तीय वर्ष 2019-20 तक तैयार कर ली गई हैं, उनमें से डीपीआर का अनुमोदन 94 क्लस्टरों से बढ़कर 242 क्लस्टर हो गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यों/परियोजनाओं के समापन का लक्ष्य कुल कार्यों के **20%** की लक्ष्य-प्रवृत्ति से बढ़कर लगभग **30%** हो गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजना आगे सारणी में दर्शाई गई है।

सारणी-1 एसपीएमआरएम – वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तविक प्रगति और वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजना

एसपीएमआरएम – वास्तविक					
	2019-20				**2020-21 लक्ष्य**
वास्तविक लक्ष्य	**वित्तीय वर्ष 2019-20 की शुरुआत में स्थिति**	**लक्ष्य**	**निष्पादन**	**कमी**	
आईसीएपी का अनुमोदन	**272 / 300**	**शेष सभी 28**	**16** **स्थिति - 288 / 300**	**कोई प्रगति नहीं – पश्चिम बंगाल (7), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1)** लॉकडाउन के बाद मंत्रालय के अनुमोदन के लिए आईसीएपी तैयार हैं – अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना (प्रत्येक में 1)	**शेष 12**
डीपीआर का अनुमोदन	**94 / 272**	**87 और डीपीआर अनुमोदित**	**148** **स्थिति - 242 / 288**	**लक्ष्य की प्राप्ति**	**शेष 58**

कार्यों का समापन	**एनए**	**20%**	**30%**	**लक्ष्य की प्राप्ति**	**60%**

सारणी-2 एसपीएमआरएम – वित्तीय वर्ष 21-2020 के दौरान वित्तीय प्रगति और वित्तीय वर्ष 20-2019 की योजना

एसपीएमआरएम – वित्तीय					
वित्तीय लक्ष्य	**2019-20**				**2020-21 लक्ष्य**
	वित्तीय वर्ष 2019-20 की शुरुआत में स्थिति	**लक्ष्य**	**निष्पादन**	**कमी।**	
सीजीएफ (केंद्रीय अंश) की रिलीज़	**1585.26 करोड़ रुपए**	**300 करोड़ रुपए**	**303.59 करोड़ रुपए**	**लक्ष्य की प्राप्ति**	**1. 600 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) जिसमें से 200 करोड़ रुपए के व्यय की तिमाही 1 में योजना** **2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अप्रयुक्त शेष का उपयोग** **3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वार्षिक कार्य योजना में केंद्रीय अंश के 1,862 करोड़ रुपए की मांग की है।**
जमीनी स्तर पर व्यय	सीजीएफ – 680 करोड़ रुपए व्यय / 6,882 करोड़ रुपए अनुमोदित **(9.8%)** तालमेल - 4,365 करोड़ रुपए व्यय/. 21,194 करोड़ रुपए अनुमोदित **(20.6%)**	**सीजीएफ- 1,200 करोड़ रुपए के व्यय के लक्ष्य की प्राप्ति**	**सीजीएफ -. 1,285** करोड़ रुपए **(18.6 %)** तालमेल - **7,174** करोड़ रुपए **(33.85%)**	लक्ष्य की प्राप्ति	**सीजीएफ और तालमेल दोनों ही श्रेणियों में 60% व्यय**

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को वर्ष 2011 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और मार्च 2020 तक इसमें 6093 ब्लॉक कवर किए गए हैं और वर्ष 2022-23 तक सभी ब्लॉकों में लागू करने की योजना है। मार्च 2020 तक मिशन 61.38 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत लाए गए 678.82 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों के साथ काम कर रहा है।

मिशन ने 3.05 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) का एक पूल विकसित किया है, और वे ग्रामीण गरीब परिवारों के एसएचजी में सामाजिक एकजुटता और विभिन्न क्षमता निर्माण से संबंधित क्रियाकलापों की प्रक्रिया में ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुदृढ बनाने की दिशा में सहयोग कर रहे हैं। डीएवाई-एनआरएलएम एमआईएस पोर्टल मिशन की प्रगति को दर्शाता है।

सांसद आदर्श ग्रामीण योजना (**एसएजीवाई**):- "एसएजीवाई फ्रेमवर्क के तहत ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना अतिरिक्त निधि का आवंटन किए बिना संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकार की मौजूदा विकास योजनाओं में प्रभावी तालमेल और कार्यान्वयन के माध्यम से की जाती है। एसएजीवाई के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतें माननीय सांसदों के मार्गदर्शन में भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं। वीडीपी में गांवों के समग्र और एकीकृत विकास करने के लिए प्राथमिकता के अनुसार समयबद्ध गतिविधियां शामिल हैं। एसएजीवाई के तहत चिह्नित 1,830 ग्राम पंचायतों में से 1,402 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम विकास योजनाएं अपलोड की हैं जिनमें 72,107 परियोजनाएं एसएजीवाई वेबसाइट पर हैं। (http://saanjhi.gov.in) और 45,150 (63%) परियोजनाओं को 3 जून 2020 तक पूरा कर लिया गया है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 2)

अनुदान मांगों (2020-21) की जाँच में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि 1,63,630.11 करोड़ रुपए की अनुमानित मांग की तुलना में ग्रामीण विकास विभाग को बजट अनुमान चरण में 1,20,147.19 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि 2019-20 के बजट अनुमान से केवल 2.12% ज्यादा है। मनरेगा के अंतर्गत 88,000 करोड़ रुपए की औसत वार्षिक मांग की तुलना में बजट अनुमान चरण में केवल 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि वार्षिक मांग से भी कम है। इस जटिल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक ओर यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग के जिन प्रमुख कार्यक्रमों की समयसीमा समाप्त होने के नजदीक है, वे कार्यक्रम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी ओर समिति को प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि निधियों की कमी परिकल्पित योजनाओं की प्रगति/उपलब्धि के मार्ग में बाधक बन सकती है। *अतः, समिति की यह पुरजोर सिफारिश है कि ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की बेहतरी और कल्याण के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों के आवंटन में वृद्धि की मांग करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर यह मामला उठाए।*

सरकार का उत्तर

ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त आवंटन करने का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर उठाता रहा है। इसी के परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-20 के दौरान संशोधित अनुमान चरण में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 5001.81 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया। वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान से 2500 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 की वर्तमान स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (महात्मा गाँधी नरेगा) योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जब कभी जमीनी स्तर पर काम की मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है तब मंत्रालय महात्मा गाँधी नरेगा योजना के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग करता है, इस विषय में वित्त मंत्रालय को भेजा गया पत्र **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है। सरकार ने महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत अधिक आवंटन और निधि को प्राथमिकता दी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजटीय अनुमान 60,000 करोड़ रुपए था और वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए संशोधित अनुमान चरण में 11,701.60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है, जिससे इस योजना के लिए कुल आवंटन 71,701.60 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत किया गया बजट अनुमान 61,500 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2020-21 के दौरान मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रू. का प्रस्ताव भी किया गया है।

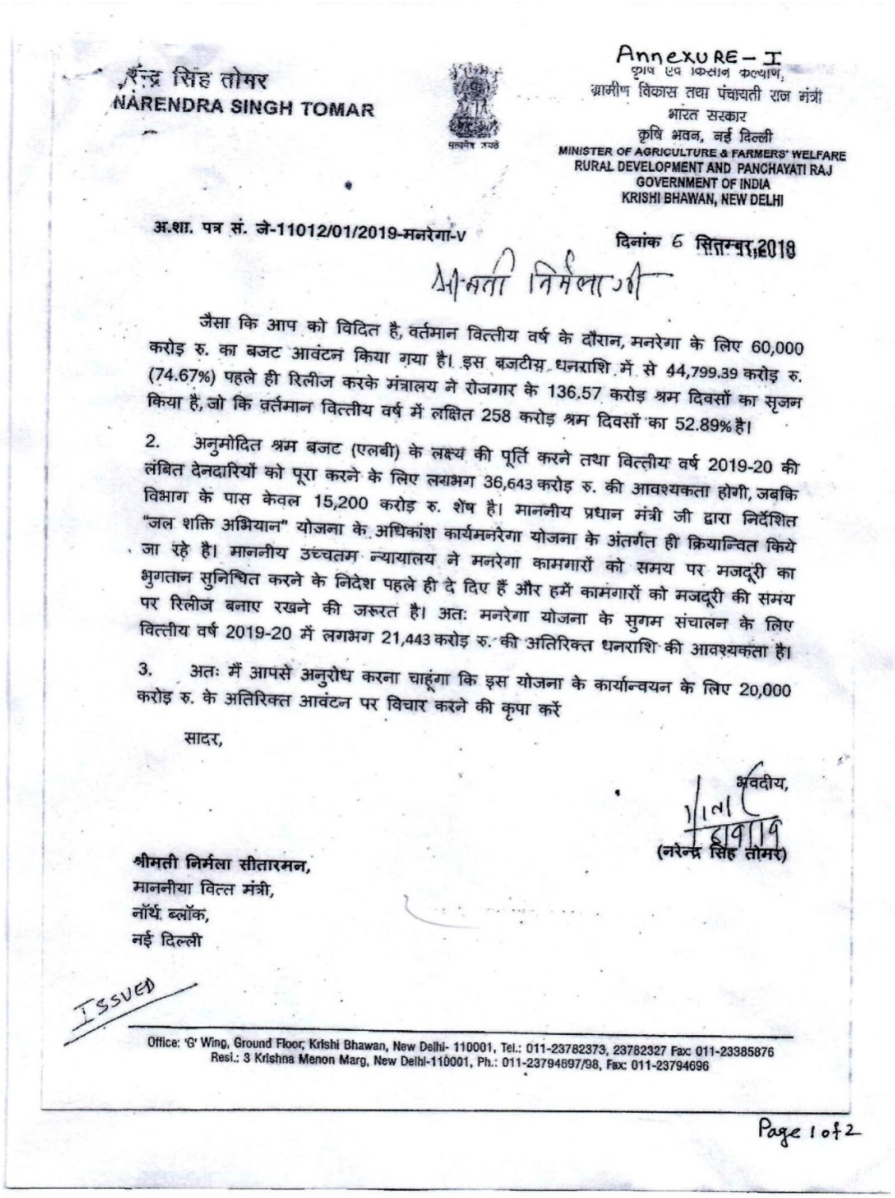

Annexure – I

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

कृषि एवं किसान कल्याण,
ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा. पत्र सं. जे-11012/01/2019-मनरेगा-V

दिनांक 6 सितम्बर, 2019

श्रीमती निर्मला जी

जैसा कि आप को विदित है, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रु. का बजट आवंटन किया गया है। इस बजटीय धनराशि में से 44,799.39 करोड़ रु. (74.67%) पहले ही रिलीज करके मंत्रालय ने रोजगार के 136.57 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया है, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 258 करोड़ श्रम दिवसों का 52.89% है।

2. अनुमोदित श्रम बजट (एलबी) के लक्ष्य की पूर्ति करने तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए लगभग 36,643 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी, जबकि विभाग के पास केवल 15,200 करोड़ रु. शेष है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा निर्देशित "जल शक्ति अभियान" योजना के अधिकांश कार्यमनरेगा योजना के अंतर्गत ही क्रियान्वित किये जा रहे है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनरेगा कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के निदेश पहले ही दे दिए हैं और हमें कामगारों को मजदूरी की समय पर रिलीज बनाए रखने की जरूरत है। अतः मनरेगा योजना के सुगम संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 21,443 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3. अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 20,000 करोड़ रु. के अतिरिक्त आवंटन पर विचार करने की कृपा करें

सादर,

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

श्रीमती निर्मला सीतारमन,
माननीया वित्त मंत्री,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली

ISSUED

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001, Tel.: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385876
Resi.: 3 Krishna Menon Marg, New Delhi-110001, Ph.: 011-23794697/98, Fax: 011-23794696

Page 1 of 2

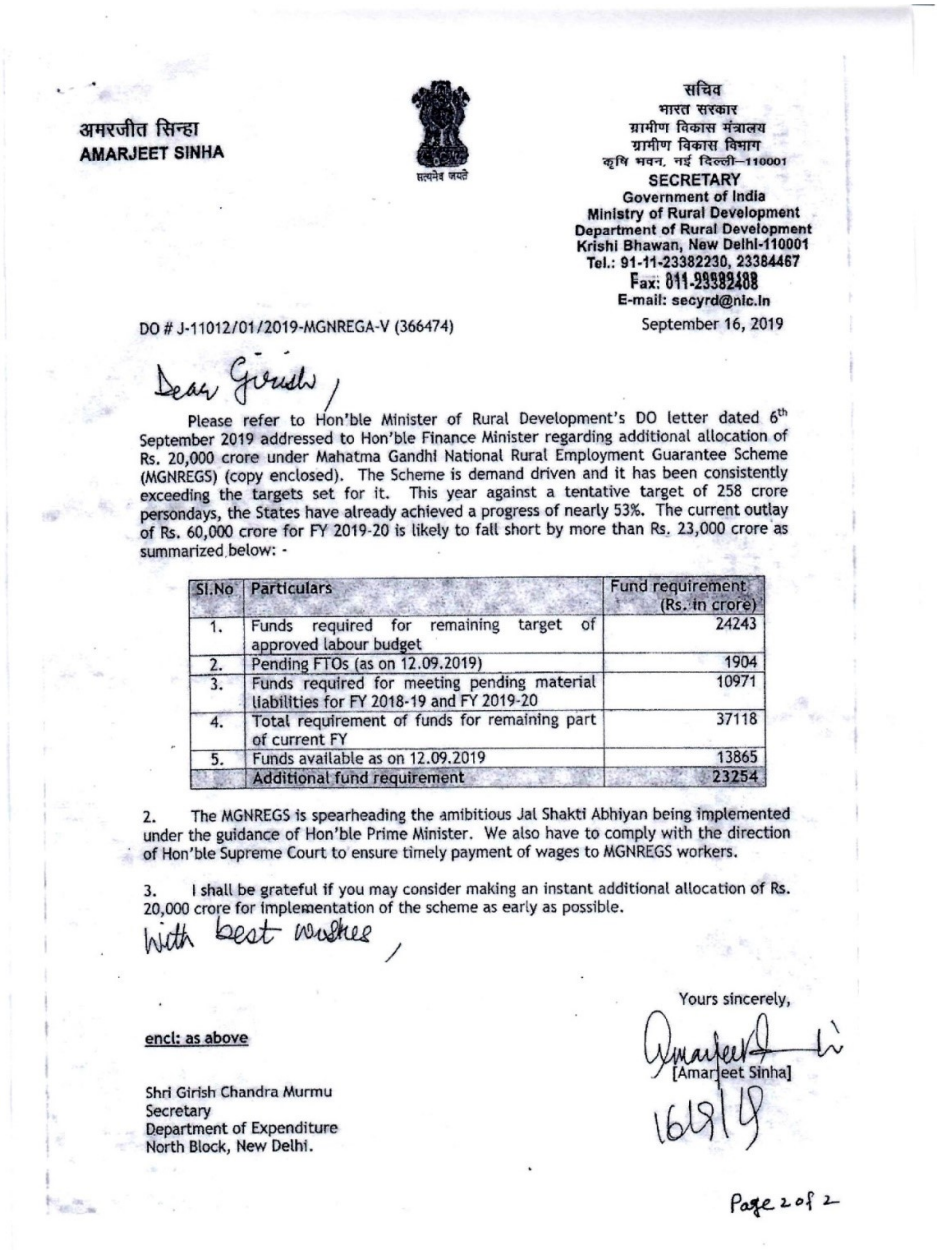

अमरजीत सिन्हा
AMARJEET SINHA

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 011-23382408
E-mail: secyrd@nic.in

DO # J-11012/01/2019-MGNREGA-V (366474)

September 16, 2019

Dear Girish,

Please refer to Hon'ble Minister of Rural Development's DO letter dated 6th September 2019 addressed to Hon'ble Finance Minister regarding additional allocation of Rs. 20,000 crore under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) (copy enclosed). The Scheme is demand driven and it has been consistently exceeding the targets set for it. This year against a tentative target of 258 crore persondays, the States have already achieved a progress of nearly 53%. The current outlay of Rs. 60,000 crore for FY 2019-20 is likely to fall short by more than Rs. 23,000 crore as summarized below: -

Sl.No	Particulars	Fund requirement (Rs. in crore)
1.	Funds required for remaining target of approved labour budget	24243
2.	Pending FTOs (as on 12.09.2019)	1904
3.	Funds required for meeting pending material liabilities for FY 2018-19 and FY 2019-20	10971
4.	Total requirement of funds for remaining part of current FY	37118
5.	Funds available as on 12.09.2019	13865
	Additional fund requirement	23254

2. The MGNREGS is spearheading the amibitious Jal Shakti Abhiyan being implemented under the guidance of Hon'ble Prime Minister. We also have to comply with the direction of Hon'ble Supreme Court to ensure timely payment of wages to MGNREGS workers.

3. I shall be grateful if you may consider making an instant additional allocation of Rs. 20,000 crore for implementation of the scheme as early as possible.

With best wishes,

Yours sincerely,

[Amarjeet Sinha]

16/9/19

encl: as above

Shri Girish Chandra Murmu
Secretary
Department of Expenditure
North Block, New Delhi.

Page 2 of 2

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्णशीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को आधारभूत सुविधाओं से संपन्न पक्का मकान उपलब्ध कराकर "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 ,से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। वर्ष 17-2016 से 22-2021 तक की अवधि के दौरान 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करने का समग्र लक्ष्य था ,जिनमें से 1 करोड़ मकानों का लक्ष्य चरण-। में 17-2016) से 19-2018 तक (पूरा किया जाना था ,जिनमें से कुल 88,81,081 मकान अब तक बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ,चरण-। के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज़ की गई कुल निधि 75,278.91 करोड़ रुपए) 18008 करोड़ रुपए के ईबीआर सहित (थी।

इसके अतिरिक्त, चरण-।। अर्थात वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के लिए 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य 70 लाख मकानों का है, जिनमें से 61.50 लाख मकान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं। इनके लिए वित्तीय व्यय 57,330 करोड़ रुपए है, जिसमें से 19,500 करोड़ रुपए सकल बजटीय संसाधनों के रूप में अनुमोदित किए गए हैं तथा शेष राशि की पूर्ति अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) से की जाएगी। चरण-।। के दौरान, अब तक कुल 16,33,089 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इसके अतिरिक्त चरण-।। के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज़ की गई कुल निधि 30,422.48 करोड़ रुपए (10811 करोड़ रुपए के 2019-20 ईबीआर सहित) है।

इस विषय में, मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2020 के अपने अ.शा. पत्र द्वारा वित्त मंत्रालय से पिछले वर्षों और वर्तमान वर्ष के लंबित मकानों के निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के प्रावधान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 10000 करोड़ रुपए के वर्तमान प्रावधान को बढ़ाकर ईबीआर का प्रावधान 57155.77 करोड़ रुपए करने (पिछले वर्षों के लंबित ईबीआर सहित) का अनुरोध किया है।

तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मकानों के निर्माण कार्य की रफ्तार और मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए, मंत्रालय वित्त मंत्रालय से इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का ईबीआर प्रावधान रखने का अनुरोध कर रहा है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)- डीएवाई-एनआरएलएम के तहत वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान 9210.04 करोड़ रुपये है। यह बजट प्रावधान वर्तमान में कोविड-19 के कारण देश में व्याप्त विशेष परिदृश्य के कारण पर्याप्त है। तथापि, यदि बजट में और वृद्धि की आवश्यकता होती है तो इस मामले को चालू वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान चरण में वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएमजीएसवाई के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 19,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पीएमजीएसवाई को इस योजना की सभी पहलों को पूरा करने के लिए वर्ष 2024-25 तक 19,000 करोड़ रुपयेवर्ष की निरंतर बज/टीय सहायता की आवश्यकता होगी और पीएमजीएसवाई-III के लिए अनुमोदन प्राप्त करते हुए इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के ध्यान में लाया गया था।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

समिति यह देखकर बेहद चिंतित है कि ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में 31 जनवरी, 2020 तक 25,158.63 करोड़ रुपए की राशि अप्रयुक्त है, जो कि अस्वीकार्य है। इतनी बड़ी राशि का एकत्र हो जाना यह दर्शाता है कि या तो सरकार द्वारा परिकल्पित योजनाओं की आयोजना या उनका कार्यान्वयन दोषपूर्ण रहा है, जिसे विवेकपूर्ण तरीके से सरल एवं कारगर बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में अप्रयुक्त शेष की स्थिति से बचा जा सके। समिति को यह बताया गया है कि वित्तपोषण पद्धति में केंद्र और राज्य के अंश तथा केंद्रीय अंश की रिलीज़ की अन्य कार्यविधियां शामिल होती हैं और फिर भी अप्रयुक्त शेष की इतनी बड़ी राशि एकत्र हो जाना समिति को नापसंद और परेशान करने वाली स्थिति है। अतः, समिति का ग्रामीण विकास विभाग से यह कहना है कि वे अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए सरकार द्वारा परिकल्पित/अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के लिए प्रस्तावित आवंटन को ध्यान में रखते हुए यथार्थपूर्ण आयोजनाएं तैयार करके उन्हें पूरे उत्साह के साथ कार्यान्वित करें, ताकि उपलब्ध धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। समिति को इस विषय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई व्यवस्था की जानकारी दी जाए।

सरकार का उत्तर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा):- अब तक की स्थिति के अनुसार इस योजना का 99.37% मजदूरी का भुगतान ईएफएमएस/एनईएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। मंत्रालय ने वर्ष 2016 से 24 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में मजदूरी के भुगतान के लिए एनईएफएमएस शुरू किया था। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में किया जा रहा है। इसलिए, इन राज्यों में मजदूरी के भुगतान खाते में कोई अप्रयुक्त शेष नहीं है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एनईएफएमएस के कार्यान्वयन में तेजी ला रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज़ की जा रही हैं और तत्पश्चात ये निधियां कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज़ की जा रही हैं। सामान्यतः, मार्च महीने के अंत में रिलीज़ की जाने वाली निधियों में से कुछ निधियां अप्रयुक्त शेष के रूप में देखी गई हैं। तथापि, या तो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को निधि के अंतरण में देरी, तत्पश्चात राज्य वित्त विभाग द्वारा राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी को रिलीज़ में देरी के कारण निधियां उपलब्ध होने में देरी या फिर मनरेगा कामगारों द्वारा मांग में कमी या राज्य सरकार में कार्यान्वयन तंत्र द्वारा हड़ताल या क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक मुद्दों जैसे कार्यान्वयन से जुड़े अन्य ऐसे मुद्दों के कारण कई बार राज्यों को सौंपी गई संपूर्ण निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता

है। मंत्रालय बाद में निधियां रिलीज़ करते समय ऐसे अप्रयुक्त शेष का समायोजन कर देता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) पीएमएवाई-जी)

पिछले 4 वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अप्रयुक्त शेष राशि::

तक	अप्रयुक्त शेष राशि (रुपए लाख में)
तक 2017 ,मार्च 31	1733435.06
2018 ,मार्च 31तक	972466.97
2019 ,मार्च 31तक	898971.34
2020 ,मार्च 31तक	898000.00
2020 ,जून 10तक	785675.69 (तक आवास सॉफ्ट के अनुसार 10.06.2020)

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, बीते वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अप्रयुक्त शेष की राशि में काफी कमी आई है, जिससे पता चलता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से निधियों के प्रभावी और समय पर उपयोग की दिशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

तथापि, वित्त प्रभाग के निर्देशानुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सूचित कर दिया गया है कि भविष्य में निधियों की रिलीज़ अप्रयुक्त शेष की राशि का उपयोग करने की दशा में की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय नियमित बैठकों/वीसी का आयोजन करके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों और अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों से संचार माध्यमों का प्रयोग कर उनसे निरंतर यह आग्रह कर रहा है कि वे इस योजना का समुचित कार्यान्वयन करके यथाशीघ्र अप्रयुक्त शेष राशि का परिसमापन करें।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत कार्यकलाप शुरू करने के लिए समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने जैसे गहन कार्य करने की आवश्यकता थी। कार्यान्वयन फ्रेमवर्क में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आईसीएपी का अनुमोदन होने पर निधियों की पहली किश्त (30%) रिलीज़ की जाती है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूर्वार्ध में अप्रयुक्त शेष की राशि अधिक रही। चूँकि 242 क्लस्टरों की डीपीआर के अनुमोदन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से निधियों के उपयोग की प्रगति की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान डीपीआर का अनुमोदन 288 क्लस्टरों में से 94 क्लस्टरों से बढ़कर 242 क्लस्टर हो गया है। यह मंत्रालय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और निधियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाइयां, वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों का आयोजन कर रहा है। दिनांक 01.04.2020 तक की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त शेष की राशि घटकर 1369.56

करोड़ रुपए रह गई है, जिसका उपयोग आगे वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए जाने की योजना है।

डीएवाई-एनआरएलएम- कार्यान्वयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जिसमें राज्य से जिलों और ब्लॉकों को निधियों के प्रवाह की आवश्यकता होती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के पास उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग हो जाने के बाद दूसरी किस्त की रिलीज़ की अनुमति देकर आवंटित निधियों का लगभग 40 प्रतिशत अपने पास बनाए रखने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त डीएवाई-एऩआरएलएम में ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिसमें एसआरएलएम मासिक आधार पर प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, व्यय और शेष राशि की रिपोर्टें देते हैं। यह साधन प्रगति की निगरानी करने और पिछड़ रहे एसआरएलएम को समय पर व्यय सुनिश्चित करने के कार्य में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपयोगी है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई):- डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत राज्यों के पास अप्रयुक्त शेष की बड़ी धनराशि के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि राज्यों को निधियां मांग (उनकी अनुमोदित तीन वर्षीय कार्य योजना के आधार पर), उनके पिछले निष्पादन के आधार पर और आगामी 6-12 महीनों के पूर्वानुमानों के आधार पर रिलीज़ की जाती हैं। राज्य को रिलीज़ की गई निधियों के 60% का उपयोग हो जाने पर (जिसमें सीएसएस के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों के अंश शामिल हैं) उसके उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्टों की पूर्ण जाँच के बाद अगली ट्रेंच रिलीज़ की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत से निधियों के अनुरोध की तारीख तक की अवधि के संबंध में ही अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी समय राज्यों को रिलीज़ की गई निधियों का 40% तक (या उससे कम) अप्रयुक्त शेष के रूप में दर्शाया जाएगा। निधियो की रिलीज़ और उनके उपयोग की स्थिति में सुधार के लिए, राज्यों से वार्षिक वित्तीय पूर्वानुमान प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, अब डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत निधियां दो ट्रेंचों में रिलीज़ की जा रही हैं। राज्यों को निधियों के ब्लॉक होने की स्थिति से बचने के लिए व्यय की रफ्तार बढ़ाने की सलाह भी दी गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):- पीएमजीएसवाई के तहत राज्यों को बजट आवंटन राज्य सरकार के परामर्श से मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना पर निर्भर करता है जो उनकी उपयोग करने की क्षमता, शेष बचे हुए कार्यों, उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि पर आधारित है। तथापि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को राशि जारी किया जाना वास्तविक प्रगतिऔर वित्तीय प्रगति, प्रदत्त किए गए कार्यों में निष्पादन और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने पर आधारित होता है ।
कई बार, राज्य अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे अप्रत्याशित प्रतिकूल मौसम की स्थिति, कच्चे माल की अनुपलब्धता आदि के कारण कार्य योजना के अनुसार निष्पादन नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप आवंटन की तुलना में राशि का कम उपयोग होता है। यह भी

उल्लेख करना भी अन्यथा नहीं होगा कि चरणों में सड़क निर्माण की प्रगति और निर्मित सड़क लंबाई पर व्यय भिन्न-भिन्न होगा जिस चरणमें सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

अप्रयुक्त शेष राशिका परिसमापनकरने के लिए प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः—

(i) राशि के अप्रयुक्त शेष बचे रहनेकी स्थिति से बचने के लिए राशि जारी करने के प्रस्तावों पर विचार करते समयराज्यों के पासबची हुई अप्रयुक्त शेष राशि पर विचार किया जाता है।

(ii) केवल उन्हीं राज्यों को राशि जारी की जाती है जिनके पास पिछले वर्ष की शेष राशि का उपयोग करने की क्षमता है और चालू वर्ष के दौरान की गई विज्ञप्ति जारी की जाती है।

(iii) इसके अलावा राज्यों को पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण की गति बढ़ाने और उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि का परिसमापनकरने की सलाह दी जाती है।

(iv)माननीय मंत्री/सचिव/अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, जिसमें राज्यों को पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण की गति बढ़ाने और उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि का परिसमापनकरने की सलाह दी जाती है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

मजदूरी सुरक्षा प्रदान करना मनरेगा का सर्वोत्तम आधार है जिस पर इसका उद्देश्य और परिकल्पना आधारित है, अर्थात एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक घर के एक वयस्क सदस्य जिसने अकुशल कार्य करने की इच्छा व्यक्त की हो, को 100 दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देना। तथापि मनरेगा के कार्यों में शामिल ग्रामीण लोगों को यदि समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा तो इसका उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। समिति को अनेक अवसरों पर मनरेगा के कार्यान्वयन में अनेक कारणों जैसे मस्टर रोल तैयार करना आदि से मजदूरी के भुगतान में विलंब की समस्या से अवगत कराया गया है। यह दुखद और अस्वीकार्य है कि ग्रामीण गरीब जो अकुशल कार्य कर रहे हैं, को समय पर बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा। समिति इसे अतिगंभीरता से लेती है और डीओआरडी से पुरजोर सिफारिश करती है कि वे मजदूरी के भुगतान में विलंब को समाप्त और सुधारने के लिए सक्रिय उपाय करें ताकि सरकार द्वारा परिकल्पित मनरेगा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

सरकार का उत्तर

महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत निधियों की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और मंत्रालय लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मजदूरी की रिलीज़ निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और यह कार्य तात्कालिक आधार पर किया जा रहा है। दिनांक 03.06.2020 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार के पास मजदूरी का कोई भुगतान रिलीज़ के लिए लंबित नहीं है।

मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से 15 दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि में मजदूरी के समय पर सृजन के जो मामले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 43.43% थे, वे अब वर्तमान वित्तीय वर्ष में 03.06.2020 तक बढ़कर 99.7% हो गए हैं। मजदूरी के समय पर भुगतान के मामलों में काफी सुधार हुआ है तथा इस मंत्रालय की एमआईएस में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में (03.06.2020 तक) 99.78% कामगारों को विनिर्दिष्ट समयसीमा में मजदूरी का भुगतान प्राप्त हुआ है। बैंकों, पीएफएमएस, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों इत्यादि जैसे संबंधित पक्षों के साथ निरंतर विचार-विमर्श करते हुए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने नोडल बैंकों से निरंतर संवाद करने और इस विषय में नोडल बैंक के किसी समर्पित अधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तात्कालिक आधार पर मजदूरी के भुगतान की स्थिति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाने को बढ़ावा दिया गया।

एफटीओ की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए नरेगासॉफ्ट पर सक्रिय रिपोर्ट/डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान के लिए समय पर भुगतान प्रक्रिया के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 9)

समिति का दृढ़ रूप से यह मानना है कि वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास वास्तव में एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विकास की राह में खड़ी बाधाओं में से एक बड़ी बाधा अर्थात आवासहीनता से निपटना है। समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत बनाए जाने वाले 51,07,396 आवासों के लक्ष्य की तुलना में, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 28.01.2020 तक लक्ष्य का केवल 12.14% पूरा हो पाया है। यह आंकड़ा निराशाजनक रूप से अत्यं0त कम है जिससे समिति काफी चिंतित है। योजना के महत्वध को ध्याहन में रखते हुए समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है कि पीएमएवाई-जी की धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाए और इस संबंध में सुधारात्मगक उपाय करें ताकि लक्षित ग्रामीण आबादी तक इस योजना का लाभ सही अर्थों में पहुंच सके।

सरकार का उत्तर

की गई कार्रवाई:

लक्ष्य की तुलना में पीएमएवाईजी- आवासों को पूरा करने की वास्तविक प्रगति नींचे दी गई

है:

वर्ष	पीएमएवाई-जी लक्ष्य	दिनांक 04.06.2020 को बनाए गए पीएमएवाई-जी आवास #
2016-17	4275695	2115
2017-18	3203836	3816107
2018-19	2516481	4472499
2019-20	6000000	2130251
2020-21	6150000	18184
कुल	22146012	10439156

एक वर्ष में पूरे किए गए आवास दिए गए वर्ष और पिछले वर्षों के लक्ष्य की तुलना में हैं क्योंकि पीएमएवाई-जी आवास को पूरा करने के लिए दिया गया समय स्वीकृति की तारीख से 12 माह है।

धीमी प्रगति के कारण:

किसी वित्ती य वर्ष की पहली और चौथी तिमाही को सर्वाधिक निर्माण अवधि के रूप में माना जाता है। वर्ष 2019-20 में मार्च, 2019 के दूसरे सप्ताह से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और मई, 2019 के अंत तक जारी रही। इसी तरह, वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में कॉविड-19 का प्रकोप देखा गया, जिससे निर्माण कार्य रूक गया। इसके अलावा, कई राज्यों में अप्रत्या शित वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण आवास निर्माण कार्य को और अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। प्रगति धीमी के अन्य कारण, इस प्रकार हैं:

(क) लाभार्थियों का भूमिहीन होना और भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है

(ख) राज्यों में विधानसभा/पंचायत चुनाव

(ग) राज्य सरकार द्वारा राज्य का हिस्सा जारी करने में विलंब

(घ) प्रवासन-अस्थायी और स्थायी दोनों

(ङ) लाभार्थियों की मृत्यु

(च) आवासों के कार्य में विलंब: 12 महीने से अधिक विलंब निम्नलिखित के कारण हुआ

i. निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, विशेष रूप से रेत

ii. परिवारों के पास उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा बड़े आवास का निर्माण

iii. भूमि विवाद

iv. प्राकृतिक आपदा

v. प्रतिस्पर्धी मांगों के कारण लाभार्थियों द्वारा धन का अन्यत्र उपयोग

(छ) लाभार्थी आवासों का निर्माण करने को तैयार नहीं

तथापि, वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने और पूर्ण होने की तेज गति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. लंबित आवासों को पूरा करने की दिशा में की गई पहल इस प्रकार है:
   (क) विलंबित आवासों का राज्यवार विश्लेषण और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
   (ख) विलंबित आवासों के संबंध में राज्य सरकार को सभी स्तरों पर ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से नियमित अलर्ट।
   (ग) जून 2020 तक विलंबित मकानों को पूरा करने की अनुमति।
   (घ) उन आवासों के लिए प्रदर्शन सूचकांक में नकारात्मक अंकन जिनमें 12 महीने से अधिक विलंब हो रहा है।

ii. मंत्रालय भूमिहीनता के मुद्दे की लगातार समीक्षा कर रहा है और भूमिहीन लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और भूमि आवंटित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से का अनुरोध कर रहा है। इस मामले को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्षस्थ स्तर पर उठाया गया है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने मई 2020 के महीने में आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से आयोजित बैठकों में इस मुद्दे की समीक्षा भी की गई। लगातार अनुरोध के कारण बिहार, असम, महाराष्ट्र आदि जैसे राज्यों में भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं बन गई हैं।

iii. प्रवासन/मृत्यु/अनिच्छुक लाभार्थियों के संबंध में मंत्रालय ने आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

iv. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर/प्रशासकों से अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर पर पीएमएवाई-जी की प्रगति की समीक्षा करें।

v. सचिव/विशेष सचिव/उप महानिदेशक, ग्रामीण विकास के स्तर पर मासिक वीडियों सम्मेलनों के माध्यम से प्रगति की समीक्षा की गई है। उप महानिदेशक/संयुक्त सचिव के स्तर पर तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों की तकनीकी टीमों के साथ समीक्षा।

vi. आवासों कार्य शीघ्रता से पूरा हो यह सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है -
   क. उन आवासों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए लाभार्थियों को धन की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की गई है।
   ख. निगरानी के लिए मकानों को पूरा करने के लिए माहवार लक्ष्य निर्धारित करें और ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित करें।
   ग. खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की समीक्षा करें।

vii. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और लंबित आवास वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अलग से समीक्षा करें।

viii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर धनराशि उपलब्ध कराना।

ix. निर्माण सामग्री की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के बोर्ड संघों शामिल करना।

इसके अलावा, वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 संकट के दौरान आवास निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया गया है ताकि उचित देखभाल और सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि के साथ काम शुरू किया जा सके।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 10)

जमीनी हकीकत के आकलन और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सदस्यों के अनुभव के माध्यम से, समिति ने संज्ञान में लिया है कि आवासों के समय पर पूरा होने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के तहत किस्तों निर्गत करने में विलंब होना। समिति ने पाया है कि विभिन्न प्रशासनिक कारणों से, निर्माण की प्रगति के अनुरूप धनराशि निर्गत नहीं करने और निर्माण हेतु निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने के कारण आवासों को अंतिम रूप से पूरा करने में देरी हुई है। समिति यह मानती है कि केन्द्र से लेकर राज्य मशीनरी तक सभी पक्षों को एक ही मंच पर आने की आवश्यकता है। इस प्रकार, समिति ग्रामीण विकास विभाग से अपनी कार्य-पद्धति को सुचारू बनाने, आवास निर्माण के लिए समय-सीमा के अनुसार किस्तें जारी करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि मकानों का निर्माण समय-सीमा के भीतर पूरा हो।

सरकार का उत्तर

की गई कार्रवाई:

मंत्रालय के पास समय पर निधियां जारी करना सुनिश्चित के लिए निम्नलिखित तंत्र है:

i. राज्यों/संघ राज्यर क्षेत्रों को निधि आवंटन एक विशेष वर्ष में राज्यों/संघ राज्यी क्षेत्रों को आवंटित लक्ष्य पर आधारित है। निधि 50% की दो बराबर किश्तों में जारी की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली किस्त तभी जारी की जाती है जब पिछले वर्ष की दूसरी किस्त का राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग कर लिया गया हो। यह धनराशि उनके राजकोष के माध्यम से राज्यों के एकल नोडल खाते (एसएनए) को हस्तांतरित की जाती है।

i. इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात ही दूसरी किश्त जारी कह जाती है। प्रस्ताव आवासॉफ्ट के संबंध में निर्धारित वास्तविक और वित्तीय प्रगति की उपलब्धि पर आधारित होने चाहिए इनके साथ पूर्ववर्ती वर्ष के 100 प्रतिशत पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए, पूर्ववर्ती वर्ष के लक्ष्य के 100 प्रतिशत पर लक्ष्य निर्धारण मानदंडों के संबंध में आवाससॉफ्ट से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति, पूर्ववर्ती वर्ष के लक्ष्य का 100 प्रतिशत पर जिला-वार लक्ष्य का निर्धारण करना, पूरा करने के मानदंड पूर्ववर्ती वर्ष की स्वीकृति का 80 प्रतिशत पर हो जिस पर सक्षम प्राधकारी के विधिवत हस्ताक्षर हो इसके साथ अन्य दस्तावेज जैसे उपयोग प्रमाणपत्र,लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि संलग्न हो। तथापि, कई बार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जिसके कारण केंद्र द्वारा निधियां जारी करने में विलंब होता है।

iii. राज्य सरकार को केंद्रीय अंश जारी करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय अंश के अनुरूप राज्य का पूर्ण अंश जारी करना आवश्येक है। यद्यपि, कुछ राज्यों में निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। मंत्रालय राज्य की अनुरूप हिस्सेदारी को समय पर जारी करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से लगातार अनुरोध रहा है।

iv. इसके अलावा, राज्य/संघ राज्या क्षेत्र सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को निधि जारी करते हैं और इसमें कोई मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर राज्य नोडल खाता यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को जारी करने के लिए निधियों की कोई कमी न हो।

v. पहली किस्त लाभार्थी को स्वी कृति आदेश जारी करने की तारीख से एक सप्ताह (7 कार्य दिवस) के भीतर उसके पंजीकृत खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाती है। लाभार्थी को पहली किस्त के अंतरण की सूचना देने के लिए एक एसएमएस भेजा जाएगा।

vi. आवास के निर्माण की प्रगति की जारकारी रखने के लिए, दूसरी किस्त अनिवार्य रूप से या तो फाउंडेशन या प्लिंथ स्तर पर मैप की जाएगी और तीसरी किस्त को या तो विंडो सिल/लिंटेल/रूफ कास्ट स्तर पर मैप किया जाएगा।

vii. लाभार्थियों को धन के किस्तों में अंतरण के संबंध में सभी जानकारी को दैनिक आधार पर पीएमएवाई-जी एमआईएस, अवासॉफ्ट पर अपडेट किया जाता है, जो सार्वजनिक डोमेन में है, और इसका उपयोग प्रगति की निगरानी के लिए भी किया जाता है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 11)

पीएमएवाई-जी के अपेछित लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा प्रतिदिन और समीप आ रही है। यद्यपि,, समिति को इस बात से अवगत कराया गया है कि पीएमएवाई-जी के दायरे से जिनके नाम छूट गए थे उन लाभार्थियों को इसमें शामिल करने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है। यद्यपि,, समिति को यह बताया गया था कि ग्रामीण विकास विभाग ने छूट गए लाभार्थियों के संबंध में डेटा संकलन के लिए एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन (आवास+) विकसित किया है और शीघ्र ही इस पर एक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि समय आ गया है कि ग्रामीण विकास विभाग अपनी गति में तेजी लाए और इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करे ताकि पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाए कि छूटे हुये पात्र लाभार्थी बिना किसी देरी के उसमें शामिल हो सकें। अत: समिति, ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि वह छूट गए लाभार्थियों के संबंध में डाटा संकलन के कार्य में तेजी लाये और इसे प्राथमिकता देते हुए यह कार्य निपटाए ताकि कोई जरूरतमंद इसमें छूट न जाए।

सरकार का उत्तर

उन परिवारों के लिए, जो यद्यपि, इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र हैं, किंतु उन्हें सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल नहीं किया जा सका, ऐसे परिवारों की पहचान करने और मोबाइल एप्लिकेशन "अवास+'' के माध्यम से उनके ब्यौरे दर्ज करने के लिए देश भर में एक अभ्यास किया गया था। देश भर से अवास+ के माध्यम से अवासॉफ्ट पर कुल 3.67 करोड़ परिवारों को अपलोड किया गया है। मंत्रालय ने "अवास+" डेटा के विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का आवंटन वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा। उनके विचार और अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 12)

समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान यह जाना कि क्षेत्र विशेष हेतु अलग-अलग आवास डिजाइन विकसित किए गए हैं, जो भौगोलिक-जलवायु और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं। समिति को यह भी बताया गया कि आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम हैं, जिन्हें निरंतर बनाए रखने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इन उपायों के परिणामस्वरूप पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पीएमएवाई-जी के तहत बनाए गए आवास टिकाऊ, बेहतर तकनीकी डिजाइन वाले और बेहतर निर्माण सामग्री के साथ निर्मित हों। इसलिए समिति ग्रामीण विकास विभाग से सिफारिश करती हैं कि वे क्षेत्र विशेष के आवास डिजाइन प्रारूपों का उपयोग कर आवासों का निर्माण करने और प्रशिक्षण ग्रामीण राजमिस्त्री की संख्या बढ़ाने की अपनी पहल जारी रखें।

सरकार का उत्तर

पीएमएवाई-जी हाउसों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रमाणन किया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री की संख्या बढ़ाना है। दिनांक 13 मई, 2020 तक ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 1.43 लाख है जिनमें से 1.04 लाख का मूल्यांकन किया गया है और 75,049 उम्मीदवारों को ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रमाणित किया गया है।

लाभार्थियों के लिए आवास डिजाइन के उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाने और स्थानीय सामग्री के उपयोग के लिए, मंत्रालय ने यूएनडीपी और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से जलवायु, स्थलाकृति, सांस्कृतिक और पारंपरिक आवास प्रथाओं और आपदा के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए आवास डिजाइन टाइपोग्राफी विकसित करने के लिए एक अभ्यास किया। इन आवास डिजाइनों को पहल नामक एक संग्रह में संकलित किया गया है और इसे सभी राज्यों को परिचालित किया गया है ताकि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को डिजाइन के विकल्प प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा, मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. मंत्रालय, राज्य सरकार द्वारा गुणवत्ता के पहलुओं सहित आवास निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि (अधिमानतः अवास दिवस 20 नवंबर) पर चयनित लाभार्थियों को विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर जानकारी प्रदान करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है। इसमें सहायता की मात्रा, इसकी चरणवार किस्तें, उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त आवास के प्रकार के डिजाइनों के उपलब्ध विभिन्न विकल्प, आपदारोधी विशेषताएं, हरित आवास तत्व,

खाना पकाने की इकाई, स्वच्छता, जल भंडारण शामिल हो सकते हैं जिन्हें उनके इलाके में आवासों में शामिल करने की आवश्यकता है, प्रारंभ में कोर आवास के निर्माण को शुरू में लेने की आवश्यकता, प्रत्येक चरण के निर्माण के लिए सामग्री की अनुमानित आवश्यकता, उनके संपर्क ब्यौरे के साथ कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता, उचित दर पर सामग्री की खरीद के लिए स्रोत, संस्थागत ऋण की उपलब्धता के स्रोत (ब्याज दर के विवरण के साथ, पुनर्भुगतान अवधि), आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता आदि।

ii. राज्यों को जागरूकता अभियानों के दौरान लाभार्थियों को लाइन विभागों के साथ बातचीत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिनके द्वारा लाभार्थी को तालमेल सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है।

iii. (ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 14)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।।। शुरू करने की तैयारी में हैं जबकि पीएमजीएसवाई-। तथा पीएमजीएसवाई-।। से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि इन चरणों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 28.01.2020 तक मात्र 14,126 किलोमीटर का कार्य पूरा किया गया है और अब तक केवल 1,675 बसावटों को जोड़ा गया है। समिति नोट करती है कि सड़क निर्माण में विलंब का मूल कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन में विलंब होना है। अनेक स्थानों पर अभी भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पीएमजीएसवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसका कार्यान्वयन और अधिक प्रभावी ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। यह समय की मांग है कि मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त किया जाए और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की गति को बढ़ाया जाए। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग यह सुनिश्चित करे कि डीपीआर की तैयारी/अनुमोदन समय पर हो, निर्माण न की गई सड़कों को शीघ्र पूरा किया जाए और लक्ष्यों को समयबद्ध रीति से पूरा किया जाए।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) : पीएमजीएसवाई-III को छोडकरपीएमजीएसवाईके विभिन्न पहलों/कार्यक्षेत्रों जिन्हें हाल ही में शुरू किया गया है, उनके अंतर्गत कार्य की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है: -

पहल का नाम	स्वीकृत लंबाई	पूर्ण की गई लंबाई	शेष लंबाई
पीएमजीएसवाई-I	6,46,356	5,90,101	41,407
पीएमजीएसवाई-II	49,826	35,130	14,331
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	9,338	1,935	7,395
कुल	7,05,520	6,27,166	63,133

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि 7,05,520 की कुल स्वीकृत लंबाई में सेलगभग 89% अर्थात 6,27,166 किलोमीटर सड़क की लंबाई पहले ही पूर्ण हो चुकी है। शेष 63,133 किलोमीटर के कार्य में से, पिछले दो वर्षों में 54,838 किलोमीटर सड़क की लंबाई को स्वीकृत किया गया है। यह भी उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि कुल शेष कार्यों में से 38,804 किलोमीटर (कुल शेष लंबाई का 60% से अधिक) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हैं जहाँ कार्य का सीजन बहुत सीमित होता है। राज्यों के साथ मासिक वीडियो कांफ्रेंस बैठक के अलावा पूर्व अधिकार प्राप्त समिति, अधिकार प्राप्त समिति, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से राज्य सरकार के साथ समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाती है। जिन राज्यों में लंबित कार्यों की संख्या अधिक है, उन्हें उनके कार्य के वास्तविक सत्यापन सहित एसआरआरडीए और पीआईयू स्तर के अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एनआरआरडीए और एमओआरडी के निदेशक स्तर के अधिकारियों को आवंटित किया गया है ।

डीपीआर तैयार करने में देरी चरण-Iका कार्य पूरा न होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों में चरण-IIकार्यों के लिए हुईथी। इसके परिणामस्वरूप पीएमजीएसवाई-IIकार्यों की स्वीकृति प्रभावित हुई, क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसारपूर्व में स्वीकृत किए गए सड़क कार्यको पूरा करना पीएमजीएसवाई-II में अंतरण के लिए अनिवार्य शर्त थी ।

मंत्रालय की ओर से मंजूरी देने में कोई देरी नहीं हुई है और राज्य सरकार से अनुपालन प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से मंत्रालय में योजना के अनुमोदन के लिए लिया गया औसत समय लगभग 45 दिन का है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 15)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक महत्वपूर्ण घटक ऐसी बारहमासी सड़कों का निर्माण करना है जो टिकाऊ और मजबूत हों। हालांकि अनेक स्थानों में सड़कों का निर्माण स्वीकृत है लेकिन ठेकेदार ऐसी परियोजनाओं को लेना चाहते हैं जो अधिक लाभप्रद हों और कम चुनौतीपूर्ण हों। ठेकेदारों और बोलीकर्ता एजेंसियों के ऐसे असंवेदनशील दृष्टिकोण के कारण अनेक स्थानां पर कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। नि:संदेह सड़क निर्माण में उस स्थान की भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना अपेक्षित है, जिसे डीपीआर मे भी दर्शाया जाना चाहिए। समिति ने उक्त मामले पर चर्चा के दौरान यह पाया कि कुछ

परियोजनाओं में मृदा प्रकृति भिन्न होने अथवा अन्य जलवायु दशाओं के कारण निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ है और इसके समाधान हेतु दस और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अत: समिति ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए और समय पर सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाए जिससे कि ऐसी परियोजनाओं का पता लगाया जा सके और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) : पीएमजीएसवाई कार्य का निर्माण ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी: एसपी: 20:2002) और हिल रोड मैनुअल (आईआरसी: एसपी:48:1988) और अन्य प्रासंगिक आईआरसी दिशानिर्देशों में दी गई आईआरसी और ज्यामितीय डिजाइन मानक द्वारा प्रकाशित ग्रामीण सड़कों के लिए विनिर्देशन पुस्तिका के आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों/सीमांत सामग्रियों और अन्य आईआरसी मान्यता प्राप्त नई सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए वर्ष 2013 में नई प्रौद्योगिकी पहल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह कुल प्रस्तावित सड़क लंबाई में से 15% के निर्माण के लिए सीमेंट, चूना, फ्लाई-ऐश, स्लैग और कमर्शियल स्टेबलाइजर, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक, सेल से भरे कंक्रीट आदि का इस्तेमाल करते हुए नई तकनीकों का उपयोगकरने काप्रस्ताव रखें। राज्यों को काम के निष्पादन के दौरान स्थानीय और भू-जलवायु स्थिति के आधार पर निर्माणों की पारंपरिक विधि को नई प्रौद्योगिकियों में बदलने की भी अनुमति है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री/सीमांत सामग्री का उपयोग करने के लिए विनिर्देशों में भी छूट दी गई है। आईआरसी मान्यता प्राप्त सामग्री/प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए सड़कों की डीपीआर तैयार करने और निष्पादन मूल्यांकन के लिए परियोजना लागत के अतिरिक्त 2.5% व्यय की अनुमति दी गई है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 17)

समिति यह पाती है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में उग्रवाद अथवा एलडब्ल्यूई अथवा अन्य लाजीस्टिक मुद्दों के कारण संपर्क न होने से स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। समिति की राय है कि मुख्य भूमि से कटे हुए कम बसावट वाले क्षेत्र जो कि बाह्य कारकों से ग्रस्त हैं पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। समिति की राय है कि विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अलग से चिन्हित किया जाए और वहां पर जमीनी वास्तविकता का आकलन करने हेतु वास्तविक जांच हेतु टीम भेजी जाए। इस विशिष्ट परिदृश्य के मद्देनजर समिति ग्रामीण विकास विभाग

से आग्रह करती है कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करे और ऐसे स्थानों की पहचान करने और वास्तविक रूप से उनकी जांच करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया जाए।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) - कमेटी की सिफारिश का पालन किया जाएगा। निगरानी के उद्देश्य सेइस कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लिए राज्यों को एनआरएडीए और मंत्रालय में विभिन्न अधिकारियों को आवंटित किया गया है। अधिकारियों को अधिक से अधिक क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया जाएगा।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 18)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग की एक बेहतरीन योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेसहारा लोगों को दीर्घकालिक सहायता देने हेतु कई उपाए किए गए हैं। इसके विभिन्न पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य शामिल हो, का निर्माण करना और उसका कार्यकरण सुनिश्चित करना है। एनआरएलएम के इस पहलु पर ध्यान देते हुए समिति ने यह नोट किया कि बैंक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण प्रदान करने और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) को चलाने में महत्वपूर्ण और एकीकृत भूमिका निभाते हैं। समिति महसूस करती है कि यह कार्यक्रम महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर और उन्हें आत्मनिर्भर बना कर गांव में जमीनी स्तर पर सही मायनों में महिला सशक्तीकरण प्राप्त करने में लाभकारी साबित हो सकता है। इस योजना के महत्व का आंकलन करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग अपने दायरे का विस्तार कर एनआरएलएम को सुदृढ़ करने के लिए रणनीति बनाए, एसएचजी की संख्या में वृद्धि करे और इस योजना के सफलतापूर्वक विस्तार में बैंकों की भूमिका की प्रभावकारी निगरानी करे।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) :- डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को एसएचजी नेटवर्क में शामिल करके 9-10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँचना है। मार्च, 2020 तक, डीएवाई-एनआरएलएम छत्तीसगढ़ और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 653 जिलों के 6093 ब्लॉकों में पहुँच गया है। कुल 6.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 61.38 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। इन एसएचजी को 3.56 लाख ग्राम संगठनों (वीओ) और 32,000 क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 766 नए ब्लॉकों में पहुँचकर 73.53 लाख ग्रामीण परिवारों को 7.28 लाख एसएचजी में शामिल करने का लक्ष्य है। आशा है कि यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 तक देश के सभी ब्लॉकों में पहुँच जाएगा।

एनआरएलएम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, मिशन का उद्देश्य सामुदायिक संस्थाओं द्वारा स्थापित आधारभूत संरचनाओं का लाभ उठाते हुए कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में उच्च स्तरीय आर्थिक कार्यकलाप शुरू करना और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ तालमेल के जरिए खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, जेंडर और डब्ल्यूएएसएच (जल, स्वच्छता और आरोग्यता) सुनिश्चित करने वाले कार्यकलाप शुरू करना है। आशा है कि विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2019 में शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) इस उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगी।

गरीबों को ऋण सुलभ कराना डीएवाई-एनआरएलएम का महत्त्वपूर्ण घटक है। बैंकों से निरंतर सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनआरएलएम ग्रामीण बैंक शाखाओं के अधिकारियों को जानकारियां प्रदान करने, एसएचजी को ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रक्रियाओं के मानकीकरण और सकारात्मक नीतिगत माहौल तैयार करने के लिए बैंकों के साथ समन्वय और सहयोग करता है। एसएचजी के लिए ऋणों के प्रवाह में तेजी लाने के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के विषय में मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें एसएचजी-बैंक लिंकेज की प्रक्रिया की रूपरेखा दर्शाई गई है। एनआरएलएम बैंक अधिकारियों के लिए नियमित उन्मुखीकरण और संचेतना कार्यक्रम भी संचालित करता है। केंद्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर विभिन्न मंचों के माध्यम से बैंक अधिकारियों के साथ नियमित संवाद और समीक्षा की व्यवस्था स्थापित की गई है। संबंधित बैंकों और भारतीय बैंक संघ के परामर्श से एसएचजी-बैंक लिंकेज के संबंध में प्रत्येक बैंक के वार्षिक ऋण लिंकेज लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। बैंक लिंकेज पोर्टल के माध्यम से बैंकों के निष्पादन की नियमित आधार पर निगरानी सीधे बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से लिए गए डाटा की सहायता से की जाती है। एनआरएलएम ने 21,800 ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंकों के लिए सहायक के रूप में बैंक सखियां तैनात कर दी हैं, जो महिला एसएचजी को बैंक से जोड़ने में शाखा प्रबंधकों की सहायता करती हैं। एसएचजी द्वारा समय पर ऋणों की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण बैंक शाखाओं में सामुदायिक अदायगी व्यवस्था (सीबीआरएम) भी स्थापित की गई है। इन सभी उपायों से इस कार्यक्रम के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2013-14 में इस कार्यक्रम की शुरुआत से, महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंकों से कुल 2.92 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्राप्त हुए हैं। मार्च, 2020 तक एसएचजी ऋणों पर एनपीए (अशोध्य ऋण) 2.38 प्रतिशत है।

बैंकों द्वारा आरएसईटीआई का कार्यान्वयन किए जाने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आरएसईटीआई बैंक की अगुवाई में चलाई जाने वाली मंत्रालय की पहल है। स्व-रोजगार उद्यमी उपक्रम शुरू करने के लिए 18-45 वर्ष की आयु के बेरोजगार ग्रामीण गरीब युवाओं के कौशल विकास और कौशलों के उन्नयन के लिए अभ्यर्थियों के निर्धारण, अवप्रेरण और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये संस्थान देश के प्रत्येक जिले में समर्पित अवसंरचना के साथ स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंक इन आरएसईटीआई का प्रायोजन, प्रबंधन और संचालन करते हैं। फिलहाल, देश में 585 आरएसईटीआई कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर गठित तीन समितियां आरएसईटीआई को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, उनके कामकाज की निगरानी करती हैं और उनके कार्यनिष्पादन में सहायता करती हैं। आरएसईटीआई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करके सभी संबंधित पक्षों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनुपालनार्थ परिचालित की गई हैं। आरएसईटीआई के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं।

इसके अतिरिक्त, ये आरएसईटीआई एनआरएलएम के लिए तैयार की गई कार्यनीतियों के अनुसार भूमिका और दायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 19)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक सामाजिक सुरक्षा/सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध, विधवाओं, निशक्त व्यक्तियों और ऐसे असक्ष्य परिवारों, जिनके आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो को मिलता है। इस संदर्भ में, समिति अनुदानों की मांगों (2019-20) पर प्रतिवेदन संख्या 1 में की गई अपनी पूर्व की सिफारिश संख्या 1 की पुष्टि करती है। समिति महसूस करती है कि इसकी विभिन्न उपयोजनाओं के अंतर्गत 200 रुपए से 500 रुपए तक वर्तमान में दी जाने वाली सहायता राशि बहुत की अपर्याप्त है। इसलिए, समिति पुन: सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए एनएसएपी के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता पर्याप्त मात्रा में यथाशीघ्र वृद्धि करे।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) - एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंडों और सहायता की दर में परिवर्तन से संबंधित मामले पर विचार किया जा रहा है। तदनुसार, तीसरे पक्ष से व्यापक मूल्यांकन अध्ययन शुरू कराया गया है, जिसका अंतिम परिणाम प्राप्त होना है। इस योजना के लिए अंतिम कार्य योजना उक्त

मूल्यांकन अध्ययन के परिणामों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर तय की जाएगी।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 20)

समिति अनुदान मांगों की जाँच के दौरान यह नोट करके स्तंभित हुई है कि एसपीएमआरएम के लिए बजट आवंटन गत वर्ष 2019-20 की तुलना में **25%** कम कर दिया गया है (2019-20 में 800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 2020-21 में 600 करोड़ रुपए का बजट अनुमान)। इस मिशन का उद्देश्य नगरों के सीमावर्ती गाँवों के क्लस्टर इस प्रकार तैयार करना है कि उन क्लस्टरों को ग्रामीण जनजीवन की सारगर्भिता बरकरार रखते हुए शहरी सुविधाएं भी प्राप्त हों। ऐसे उद्देश्य के साथ निधियों में क्रमिक कटौती बहुत ही चकित करने वाली है। इसके अतिरिक्त, समिति ने रुर्बन मिशन के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए चयनित गाँवों के संबंध में गलत ढंग से डीपीआर तैयार करने का संज्ञान लिया। व्यावहारिक जमीनी वास्तविकता को जाने बिना डीपीआर तैयार करने से बहुत संभव है कि इस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसियों को डीपीआर को अंतिम रूप देते समय स्थानीय जानकारी को सम्मिलित करने और कुशाग्रता की आवश्यकता होती है, ताकि प्रभावी डीपीआर तैयार हो सके। इस विषय में ग्रामीण विकास विभाग से समिति की यह सिफारिश है कि वे मौजूदा स्थिति का जायजा लें, ताकि एसपीएमआरएम अपने उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग से भटक न जाए और एक तार्किक डीपीआर की तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

सरकार का उत्तर

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम): वैसे तो संबंधित स्थानीय विभाग/एजेंसियों को व्यक्तियगत कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने के लिए आयोजना से कार्यान्वयन तक राज्य/जिला/ब्लॉक में 10-12 विभागों की भागीदारी और ग्राम पंचायतों की संचेतना और सहभागिता की आवश्यकता होती है। संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार डीपीआर में में सक्रिय संशोधन/आशोधन करने की अनुमति राज्यों को देकर और राज्य स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति (एसएलईसी) के स्तर पर उन्हें अनुमोदित करने से डीपीआर की तैयारी की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया गया है। डीपीआर में कार्यान्वयन एजेंसियों, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव कार्यनीति पर विधिवत विचार सुनिश्चित किया जाता है। डीपीआर की तैयारी की रफ्तार 2019-20 से बढ़ी है और 288 क्लस्टरों में से 242 क्लस्टरों की डीपीआर पूरी हो गई हैं। इससे निधियों के उपयोग और जमीनी स्तर पर कार्यों की प्रगति की रफ्तार में भी सुधार हुआ है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 21)

अनेक बार, समिति ने संसद सदस्यों द्वारा गोद लिए गांवों की अनदेखी और उनके प्रति उदासीनता का गंभीरता से संज्ञान लिया। एसएजीवाई ग्रामों के विकास के लिए कोई पृथक निधि नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं को सही रूप में और सामंजस्यपूर्ण ढंग से दिशा देने की आवश्यकता है ताकि गोद लिए गए गांवों को योजनाओं के कार्यान्वयन में उचित प्राथमिकता मिले। तथापि संसद सदस्यों ने योजनाओं को पुन: रूप से क्रियान्वित करने में समन्वय और तत्परता की कमी पाई हैं। अंत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे और सभी उपाए सुनिश्चित करे ताकि सांसदों द्वारा एसएजीवाई के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों को ग्रामीण विकास विभाग की योजना के कार्यान्वयन में कोई प्रशासनिक चुनौती/बाधा का सामना न करना पड़े।

सरकार का उत्तर

योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने के लिए **23** केंद्रीय योजनाओं के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। संसद सदस्यों, जिला और ग्राम स्तर के अधिकारियों के लाभ के लिए एसएजीवाई के तहत तालमेल के लिए 223 केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित और 1,806 राज्य योजनाओं का संकलन तैयार कर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है और योजना के पोर्टल **(saanjhi.gov.in)** पर भी अपलोड किया गया है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के संबंध में राष्ट्र स्तरीय समिति (एनएलसी) की तीसरी बैठक 9 दिसंबर 2019 को ग्रामीण विकास के सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक में एनएलसी के सदस्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सदस्य मंत्रालयों से अनुरोध किया कि वे अपनी योजनाओं में एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दें और समीक्षा बैठकों के दौरान एसएजीवाई को कार्यसूची की नियमित मद के रूप में चर्चा हेतु रखने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दें।
- एसएजीवाई ग्राम पंचायतों की सूची विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों/विभागों जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य कार्यक्रम प्रभागों के साथ साझा की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपनी संबंधित योजनाओं के केंद्रीकृत कार्यान्वयन में तेजी लाएं।

- कुल 1,300 से अधिक एसएजीवाई कार्यकर्ताओं सहित प्रशिक्षकों की राज्य टीम, राज्य नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को तालमेल प्रक्रिया के संबंध में वर्ष 2019-20 में प्रशिक्षित किया गया है।
- नवनिर्वाचित माननीय सांसदों के लिए एसएजीवाई के संबंध में 03 दिसंबर 2019 को एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
- एसएजीवाई की कार्यक्रम प्रबंधन इकाई अपने क्षेत्रीय दौरों में माननीय सांसदों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक कर रही है ताकि वास्तविक फीडबैक लिया जा सके।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे एसएजीवाई के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन करें जिसमें माननीय सांसद, राज्य नोडल अधिकारी, जिला अधिकारी और प्रभारी अधिकारी शामिल हों।

पीआरआई नेता और अन्य हितधारक

- इस योजना की प्रगति की समीक्षा संयुक्त सचिव के स्तर पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक आधार पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की जाती है।
  - (ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 22)

समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान नोट किया कि विभिन्न विभागों के संबंधित प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने दिशा समिति की बैठकों में उपस्थिति को कोई महत्व नहीं दिया। यह प्रवृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निरंतर मानकों के उल्लघंन को दर्शाती है। समिति के पास संबंधित जिला अधिकारियों के ऐसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। इसलिए समिति स्पष्ट रूप से ग्रामीण विकास विभाग के विवेक पर दिशा बैठकों के बारे में इस गलत रवैये को सुधारने का जिम्मा छोड़ती है ताकि दिशा बैठकों द्वारा जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी का बड़ा उद्देश्य बिना बाधा के पूरा किया जा सके।

सरकार का उत्तर

जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियां (दिशा)-ग्रामीण विकास मंत्रालय निरंतर राज्य सरकारों से कहता रहा है कि वे दिशानिर्देशों के अनुसार दिशा बैठकों का आयोजन करें। हाल ही में, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास ने दिनांक 3 मार्च, 2020 के अपने अ.शा. पत्र संख्या एच-11013/02/2017-दिशा द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे दिशानिर्देशों के अनुसार दिशा समितियों की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, इस समिति को और अधिक मजबूती प्रदान करने तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'दिशा बैठक प्रबंधन' नामक संपूर्ण बैठक प्रबंधन प्रणाली की संकल्पना तैयार करके इस प्रणाली का विकास किया गया। इस

प्रणाली से बैठक का कार्यक्रम ऑनलाइन तैयार किया जा सकता है, आमंत्रितों को स्वतः इस बैठक की सूचना दी जा सकती है, बैठक में उपस्थिति दर्ज की जा सकती है, बैठक के नोटिस और कार्यवृत्त को तैयार करके प्रकाशित किया जा सकता है, कार्रवाई बिंदुओं का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है और कार्रवाई बिंदू सौंपे जा सकते हैं तथा सभी कार्यों की निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से की जा सकती है। बैठक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का पहली बार प्रयोग तमिलनाडु के इरोड, तिरुप्पुर और नमक्कल नामक जिलों में 25-27 फरवरी, 2020 तक की अवधि के दौरान किया गया। इस बैठक प्रबंधऩ सॉफ्टवेयर को अन्य जिलों में भी कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

सिफारिश (क्रम संख्या 23)

सांसद निर्वाचित प्रतिनिधि होते है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग की प्रत्येक योजना के व्येक्तिक लाभार्थी की समस्या का निपटान करता है। यह व्यवहारिक है कि किसी परियोजना को स्वीकृत करते समय या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र हेतु कोई डीपीआर तैयार करते समय, संबंधित सदस्य के मत और विचार को महत्व दिया जाए और उसे विचार्थ लिया जाए। सदस्य का क्षेत्र के बारे में ज्ञान विभाग की योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में केवल सहायता और संवर्धन प्रदान करेगा। उपरोक्त के मद्देनजर, ग्रामीण विकास विभाग को पुर:जोर निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार से पद्धति विकसित करे कि योजना बेहतर प्रगति हेतु उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए संसद सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

सरकार का उत्तर

दिशा समिति यह सुनिश्चित करने वाली निगरानी व्यवस्था है कि योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए। दिशा समिति की बैठकें ऐसा मंच उपलब्ध कराती हैं, जिस पर जिले में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के विषय में विचार-विमर्श किया जा सकता है और संसद सदस्यों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करके कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की कार्यनीति तैयार की जा सकती है। इस समिति की अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य द्वारा की जाती है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

अध्याय तीन

सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाई नहीं करना चाहती है:-

शून्य

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

अध्याय चार

सिफारिशें, जिनके संबंधी में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है:-

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

समिति यह नोट करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित योजना है जो ग्रामीण लोगों को निरंतर आधार पर आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से स्थायी परिसंपत्ति के सृजन के माध्यम से मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करती है। समिति ने डीओआरडी कम से कम 60% व्यय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत वार्षिक जल संरक्षण कार्यों पर सुनिश्चित करने के रवैये पर ध्यान दिया। इसी प्रकार समिति यह देखती है कि मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की परिधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जंगली जानवरों से खेती की जमीन को बचाने के लिए चारदीबारी बनाना, चेक डैम का निर्माण और भूमि-अपरदन को रोकने के लिए बचाव हेतु दीवार बनाना, खेतों को कुंटीली तार से घेरना आदि जैसे कार्यों को भी आवश्यकतानुसार कुछ क्षेत्रों में किया जा सके। अतः समिति डीओआरडी से सिफारिश करती है कि वे मनरेगा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कार्यों की सूची की समीक्षा करे और इसमें आवश्यकतानुसार नए कार्यों को शामिल कर उपयुक्त संशोधन करें।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची की नियमित रूप से समीक्षा करता है और ऐसी समीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विधिवत परामर्श के बाद की जाती है। हाल ही में, नवम्बर, 2019 में सरकारी/पंचायत भवनों में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को इस योजना में शामिल किया गया है। दिनांक 27.11.2019 की अधिसूचना की प्रति निमन्वत है।

Annexure -2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3843] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2019/अग्रहायण 6, 1941
No. 3843] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2019/AGRAHAYANA 6, 1941

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

का.आ. 4274(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में, पैरा 4 में, उप- पैरा 1 में, मद (1) में उप-मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात:-

"(i) पेयजल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, ठहराव बांध, रोक बांध और सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसी भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण तथा जल संचयन संरचनाएं."

[फा. सं. एल-12053/04/2019-आरई-I]

रोहित कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची I का पहला संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और अंतिम रुप से संशोधन सं. का.आ. 403(अ), तारीख 25 जनवरी, 2018 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2019

S.O. 4274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to Schedule I of the said Act, namely:—

2. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in the SCHEDULE I, in paragraph 4, in sub-paragraph 1, in item (I), for sub-item (i), the following sub-item shall be substituted, namely:—

"(i) Water conservation and water harvesting structures to augment and improve ground water like underground dykes, earthen dams, stop dams, check dams and **rooftop rain water harvesting structures in Government or Panchayat buildings** with special focus on recharging ground water including drinking water sources."

[F. No. L-12053/04/2019-RE-I]

ROHIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The SCHEDULE I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended *vide* notification number S.O. 323(E), dated 6th March, 2007 and last amended *vide* notification number S.O. 403(E), dated the 25th January, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा संख्या 8 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मुख्यतः अकुशल श्रमिकों को ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जिसमें अधिकांश समय शारीरिक क्षमता और शक्ति का उपयोग होता है। ऐसे कार्यों को करना जिनकी मजदूरी राज्य के न्यूनतम मजदूरी प्रावधान के अंतर्गत दी गई न्यूनतम मजदूरी की गारंटी से भी कम हो, सर्वथा अनुचित है। समिति देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी में मौजूदा असमानता को नोट करती है जिसमें श्रमिकों को राज्य की उच्च मजदूरी की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। इसके अतिरिक्त, कृषि श्रमिकों को भी मनरेगा श्रमिकों से अधिक राशि मिलती है। समिति यह महसूस करती है कि यह कारण हो सकता है कि श्रमिक मनरेगा के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत नहीं करते और अन्य प्रकृति के कार्यों या काम करने हेतु दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। स्थिति से निपटने हेतु न केवल मजदूरी में समानता लाना आवश्यक है, बल्कि बाजार की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मनरेगा के तरत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करना भी उतना ही आवश्यक है। अतः समिति ग्रामीण विकास विभाग से यह आग्रह करती है कि मजदूरी में असमानता के मुद्दे को हल करे और मुद्रास्फीति के अनुरूप मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि भी करे।

सरकार का उत्तर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) के अंतर्गत अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार दिया जाता है। यह मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग के अनुसार आजीविका के तात्कालिक विकल्प के रूप में आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय हर वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गाँधी नरेगा कामगारों को मुद्रास्फीति का मुआवजा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य

संसूचक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर हर वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20 रुपए की वृद्धि की गई है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा संख्या 11 देखें)

(सिफारिश क्रम सं. 7)

अनुदानों की मांगों (2020-21) के आलोक में योजना के प्रदर्शन की जांच के दौरान समिति बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के प्रावधान अनुपालन न किए जाने को लेकर चिंतित है। समिति के सामने प्रस्तुत किए गए तथ्यों से पता चला कि केवल कुछ राज्यों ने ही संचयी रूप से केवल 12,000 रूपए उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया है जो निर्धारित समय सीमा के भीतर मनरेगा के तहत नौकरी प्राप्त नहीं कर सके थे। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि आखिर सभी काम ढूँढने वालों को समय-सीमा के भीतर काम दिया भी गया अथवा नहीं। हालांकि, मामला बस यहीं तक का नहीं है, समिति जमीनी स्तर पर यह पाती है कि कई स्थानों पर मनरेगा के अंतर्गत काम देने में हुई अत्यधि देरी एक स्वीकार्य मानदंड बन गई है। समिति को यह बताया गया है कि मनरेगा के प्रावधान के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना राज्यों की जिम्मेदारी है, हालांकि, समिति का अभी भी यही विचार है कि विभाग यह कह कर जवाबदेही से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि इस प्रावधान का अनुपालन राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए समिति ग्रामीण विकास विभाग को ऐसे तरीके खोजने व अपनाने की सिफारिश करती है जिससे मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

सरकार का उत्तर

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : यह विभाग हर वर्ष मध्यावधि समीक्षा बैठकों और श्रम बजट बैठकों में इसके कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्तों के उपबंधों के अनुपालन के विषय में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 07.02.2020 को जारी की गई एडवाइजरी **अनुबंध-3** में दर्शाई गई है।

मंत्रालय ने राज्यों द्वारा अधिसूचित बेरोजगारी भत्ता नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्तों के भुगतान की स्वतः गणना का प्रावधान किया है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग और उनके निष्पादन के अनुसार उनके परामर्श से "स्वीकृत श्रम बजट" में भी समय-समय पर संशोधन करता है, ताकि काम की मांग के अनुसार प्रत्येक मजदूर को समय पर काम दिया जा सके।

Annexure -3

File No. J-11060/C/4/2016-RE.VI (352245)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: February 7, 2020

To

The Commissioner-Cum-Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary,
Department of Rural Development/ Panchayati Raj
(In Charge of MGNREGA),
All States

Subject: Unemployment allowances- reg.

Madam/ Sir,

As you are aware that Section 7(1), Mahatma Gandhi NREGA entitles every beneficiary for an unemployment allowance. According to the Act, *"If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with this section."*

Further, as per para 7(6), the State Governments are required to prescribe a procedure for payment of unemployment allowance. Accordingly, the State Government are required to ensure the following:

1. Specify the rate of unemployment allowance payable, which will not be less than one-fourth of the wage rate for the first thirty days and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year.
2. Frame Rules governing the procedure for payment of Unemployment Allowance.
3. Make necessary budgetary provision for payment of Unemployment Allowance.

In this regard, a detailed guideline may kindly be referred to vide Annual Master Circular 2019-20. It is reiterated that strict compliance of the provisions of the Act with respect unemployment allowance and guidelines thereof, on this specific provision must be strictly adhered to.

Any complaint, if any, on non-release of unemployment allowance must be dealt on priority.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully

(Dharmvir Jha)
Director (Mahatma Gandhi NREGA)

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा संख्या 14 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

समिति ने इस बात पर चिंता जताई कि दूर-दराज के अलग-अलग स्थानों से ग्रामीण निवासियों को मनरेगा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा तक पहुँचने के लिए कभी-कभी 15-20 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मौजूदा स्थिति के विषय में जानने और व्यवहार्य विकल्प का पता लगाने के बाद, समिति की राय है कि प्रत्येक गांव में इस उद्देश्य के लिए डाकघरों का उपयोग भी किया जा सकता है। समिति को यह लगता है कि ग्रामीण विकास विभाग को मजदूरों को भुगतान करने के संबंध में अपने मौजूदा प्रोटोकॉल में संशोधन करना चाहिए और डाकघरों में खाते खोलने की व्यवहार्यता पर व्यावहारिक रूप से गौर किया जाना चाहिए। अतः समिति विभाग को एक लाभदायी समाधान निकालने हेतु व्यावहारिक और यथार्थवादी तरीके से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करती है।

सरकार का उत्तर

महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान फिलहाल बैंकों/डाकघरों में उन्हें उपलब्ध कराए गए खातों के माध्यम से किया जा रहा है। दिनांक 4 जून, 2020 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत कुल 1.15 करोड़ डाकघर खाते पंजीकृत हैं।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा संख्या 17 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 13)

समिति ने पाया है कि वर्तमान में, पीएमएवाई-जी के तहत प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि क्रमश: मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,12,000/- रूपए और पहाड़ी राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों के लिए 1,30,000/- रूपए है जिसमें शौचालय के लिए 12,000/- रूपए का प्रावधान किया गया है। समिति को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि को उपर्युक्त स्तर पर बने रहने देने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि काफी अधिक है जो कि लगभग 2,50,000/- रु. है। समिति का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा व्यावहारिक रूप से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए सहायता राशि में यह असमानता अव्यावहारिक लगती है। एक गांव में आवास के निर्माण के दौरान ऐसी विभिन्न चुनौतियां सामने आती हैं जिनका सामना शहरी क्षेत्रों में नहीं करना पड़ता है, लेकिन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाई सहायता राशि तय करते समय इन मापदंडों पर अकारण रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए, इस स्थिति पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार समिति ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह पीएमएवाई-जी के तहत प्रति आवासीय इकाई सहायता में इस प्रकार से वृद्धि करें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति इकाई सहायता राशि में एकरूपता आ सके।

सरकार का उत्तर

की गई कार्रवाई:

पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को पक्के आवास निर्माण के लिए मैदानी इलाकों (जो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के तहत 70,000 रुपये थी) में 1.20 लाख रुपये की बढ़ी हुई इकाई सहायता प्रदान की जाती है और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रुपये है (जो तत्कालीन इंदिरा आवास योजना के तहत 75,000 रुपये थी)। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ तालमेल के माध्यम से 90/95 श्रम दिवस की अकुशल श्रम मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन के साथ तालमेल के माध्यम से पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों द्वारा शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत का प्रावधान है। फिलहाल मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत ईकाई सहायता बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के अनुसार, यदि लाभार्थी चुनता है, तो उसे वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा होगी। यद्यपि, समिति की सिफारिश पर मंत्रालय इकाई सहायता में वृद्धि के मामले की जांच कर सकता है।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा संख्या 23 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 16)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) साक्ष्य के दौरान समिति का ध्यान ठेकेदारों में प्रचलित इस प्रवृत्ति की और आकृष्ट कराया गया कि ठेकेदार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की निविदा प्राप्त करने के लिए बाली प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर कम कोटेशन देते हैं। बोली में जीतने के लिए शुरू में 20 से 30 प्रतिशत या उससे अधिक कम करने का पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी पद्धतियों को दांडिक/सांविधिक उपायों द्वारा रोका जाना चाहिए समिति की राय है कि बेहद कम कोटेशन देकर संविदा प्राप्त करने की गलत मंशा और तदुपरांत लाभ प्राप्त करने के लिए कच्चे माल और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता स समझौता करना एक आपराधिक कार्य है। ऐसी प्रवृत्तियों के कारण कई स्थानों पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कें पहले सीजन के अंत तक टूटने लगती हैं। समिति की दृढ़ राय है कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ को खत्म करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को एक न्यूनतम निविदा राशि निर्धारित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए जिससे कि अविवेकी ठेकेदारों में प्रचलित इस अनुचित प्रवृत्ति को रोका जा सके। समिति का मानना है कि ऐसे सुधारात्मक उपाय करके/रणनीतियां बनाकर ठेकेदारां को भविष्य में ऐसा करने से रोका जा सकेगा और निर्मित सड़कें गुणवत्तापूर्ण और लंबे समय तक चलने वाली होंगी।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) : पीआईयू स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर ठेकेदार द्वारा सड़क की खराब गुणवत्ता के निर्माण के मुद्दे से निपटने के लिए पहले से ही तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र मौजूद है। इसके अलावा ऐसे ठेकेदारों को

काली सूची में डालने के लिए एनआरआईडीए के मानक बोली दस्तावेज में प्रावधान हैं, जो बोली दस्तावेज में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार काम पूरा नहीं करते हैं।

सामान्य वित्तीय नियमों और सीवीसी दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के आधार पर मानक बोली दस्तावेज के अनुसार कार्यों को निविदा दी जाती है। राज्यों द्वारा निविदा/खरीद की प्रक्रिया की जाती है। कई राज्यों में बढ़ी हुई निष्पादन गारंटी मांगने का प्रावधान है यदि प्राप्त बोलियां एक निश्चित सीमा से नीचे होती हैं। इसके अलावा 5 साल की अवधि तक सड़क का रखरखाव करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। मंत्रालय रखरखाव कार्यों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम (ई-मार्ग) लागू कर रहा है, जिसमें सभी भुगतान इस प्रणाली के माध्यम से करने होंगे। इससे दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान रख-रखाव के कार्य में और अधिक सुधार होगा।

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा संख्या 26 देखें)

अध्याय पाँच

सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:-

शून्य

(ग्रामीण विकास विभाग का सं. जी) ब एंड अ-२०२०/५/२००११ .दिनांक : 15.06.2020)

नई दिल्ली
10 फ़रवरी, 2021
21 माघ, 1942 (Saka)

प्रताप राव जाधव
सभापति,
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-21)

समिति की मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2020 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक नए समिति कमरा सं. 'ड़' संसदीय सौध भवन, (पीएचए), नई दिल्ली में 1500 बजे से 1650 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव – **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री राजवीर दिलेर
3. श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया
4. श्री रीता बहुगुणा जोशी
5. श्री नरेंद्र कुमार
6. श्री बी. वाई. राघवेंद्र
7. श्री विवेक नारायण शेजवालकर

राज्य सभा

8. **श्री शमशेर सिंह ढुलो**
9. **श्री** सुजीत कुमार
10. **श्री** नज़ीर अहमद लवाय
11. **श्री** के पी मुनुसामी
12. **श्री** राम शकल

सचिवालय

1. श्री **ड़ी आर शेखर** - संयुक्त सचिव
2. श्री **ए के शाह** - निदेशक
3. श्रीमती एम्मा सी. बरवा - उप सचिव

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

2. xxxx xxxx xxxx xxxx

3. तत्पश्चात्, सभापति ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया जो ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), *xxxx xxxx xxxx xxxx* अनुदानों की मांगों (2020-21) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति के *xxxx* प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु आयोजित की गई थी

xxxx xxxx xxxx xxxx

4. प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया और चर्चा के पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया। तत्पश्चात् समिति ने सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया।

xxxx xxxx xxxx

5. xxxx xxxx xxxx xxxx

6. xxxx xxxx xxxx xxxx

*(*xxxx xxxx xxxx xxxx *)*

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हो गई।

---

xxxxx संबंधित विषय से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4)

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का विश्लेषण

एक सिफारिशों की कुल संख्या 23

दो सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार किया है: -

क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

कुल : 17
प्रतिशत : 74%

तीन सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाई नहीं करना चाहती है:-

क्रम संख्या शून्य

कुल : शून्य
प्रतिशत :0

चार सिफारिशें, जिनके संबंधी में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है:-

क्रम संख्या 4, 6, 7, 8, 13, 16

कुल : 6
प्रतिशत :26%

पाँच सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:-

क्रम संख्या. शून्य

कुल : शून्य
प्रतिशत :0